न्यायालय– अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या–02, किशनगढ़, जिला अजमेर।

पीठासीन अधिकारी – शालिनी शर्मा, आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)
सेशन प्रकरण संख्या – 34/2017 (12/19)
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या – 181/2016 पुलिस थाना किशनगढ़।
सी.आई.एस. संख्या – 34/2017
सी.एन.आर. संख्या – RJAJ170009442017

राजस्थान राज्य, जरिये लोक अभियोजक, किशनगढ़, जिला अजमेर

– अभियोगी

ब ना म

1. रवि मेहता पुत्र सम्पतराज मेहता, उम्र 42 साल, निवासी मकान नंबर 42 मित्र निवास कॉलोनी मदनगंज पुलिस थाना मदनगंज जिला अजमेर।
2. नटवर सिंह पुत्र बाबू सिंह, उम्र 33 साल, निवासी देवरिया थाना बोराडा जिला अजमेर।

–अभियुक्तगण

अपराध अंतर्गत धारा 4, 5, 6 भारतीय विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 एवं धारा 5/25 आयुध अधिनियम, 1959

उपस्थित –
1. राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक – श्री पदमराज सैनी।
2. अभियुक्त रवि मेहता की ओर से अधिवक्ता – श्री प्रतीक मेहता।
3. अभियुक्त नटवर की ओर से अधिवक्ता – श्री पवन प्रकाश कुमावत।

– :: निर्णय :: –

दिनांक ::– 11.06.2026

1. हस्तगत प्रकरण माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अजमेर के आदेशानुसार निस्तारण हेतु न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 1 किशनगढ़ से अंतरित होकर इस न्यायालय में प्राप्त हुआ, जिसे नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया गया।

2. प्रकरण के **संक्षिप्त तथ्य** इस प्रकार से हैं कि दिनांक 17.07.2016 को मुस्तगीस श्री नरपतराम उनि. पुलिस थाना किशनगढ जिला अजमेर ने उपस्थित थाना होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 17.07.16 को मन SI नरपतराम मय हमराहियान जाप्ता HC 25 महादेव प्रसाद, श्री हनुमान कानि. 1450, श्री रामलाल कानि. 235, श्री बजरंगलाल कानि. 1415 चालक मय जीप सरकारी व अनुसंधान बाक्स के थाना पर जरिये टेलीफोन थाना मदनगंज से श्री हनुमान सहाय उपनिरीक्षक की प्राप्त शुदा इतला मैगजीन रवि मेहता एण्ड कम्पनी

सरहद उदयपुर कलां पर अवैध विस्फोटक सामग्री होने की प्राप्त होने पर निर्देशानुसार थाना से समय 10.15 PM पर रवाना होकर सिलोरा होते हुए उदयपुर खुर्द चौराया पहुंचा व श्री महादेव प्रसाद HC 25 को कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहान तलब कर लाने हेतु मोखिक निर्देश देकर रवाना किया जो थोडी देर मे श्री महादेव प्रसाद HC 25 मय 1. श्री रामधन पुत्र उमराव व श्री भवानसिंह पुत्र श्री मांगीलाल को हमराह लेकर आया जिनको मन SI ने सूचना से अवगत कराया व कार्यवाही हेतु हमरा रहने की कहा तो उक्त ने अपनी सहमति बताई जिस पर उक्त दोनो स्वतंत्र गवाह मामूर कर समय 10.40 PM पर रवाना होकर समय 11 PM पर मैगजीन श्री रवि मेहता एण्ड कम्पनी सरहद उदयपुर कलां पहुंचा जहां एक व्यक्ति पुलिस की जीप को व बावर्दी पुलिस को देखकर भागने लगा जिसे मन SI ने आवाज देकर रूकने बाबत कहा परन्तु नही रूका तब मन SI व हमराही जाप्ता की मदद से घेरा देकर पकड़ा नाम पता पूछा तो अपना नाम श्री रवि मेहता पुत्र श्री सम्पतराज मेहता उम्र 42 साल निवासी मन मकान न. 42 मित्र निवास कालोनी मदनगंज थाना मदनगंज का होना बताया उक्त शख्स श्री रवि मेहता एक दो मंजिल कमरे की तरफ से निकल कर भाग रहा था उसको भागने का कारण पुछा तो कोई संतोषजनक जवाब नही दिया। मेगजिन के पास स्थित कमरा जो दो मंजिला है जिसमे रखे सामान व रहने बाबत पुछा तो गुमसुम हो गया। मकान की चाबी अपने स्वयं के पास होना बताया जिस पर मौके पर मौजुद स्वतंत्र गवाहान श्री रामधन् व व भवानसिंह व हमराही जाब्ता के रवि मेहता को मकान का ताला खोलकर चैक कराने की हिदायत की व लकडी के सिढी के सहारे उपर बने कमरे में पहुंचा उक्त कमरे के ताला लगा हुआ नहीं था। रवि मेहता ने गेट खोला जिसके समक्ष व बमौजुदगी गवाहान व जाप्ता के कमरे को चैक किया तो कमरे मे घरेलु सामान व दो चारपाई मय बिस्तर के थी अन्य कोई संदिग्ध वस्तु नही मिली। रवि मेहता ने अपने मैगजिन के चौकीदारो का रहना बताया। जिस पर रवि मेहता को नीचे के कमरे के ताले को खोलकर चैक करवाने की हिदायत दी तब सभी नीचे आये। रवि मेहता ने अपनी पेन्ट की जेब से चाबी निकालकर ताला खोला मन् SI मय गवाहान जाब्ता के कमरे में प्रवेश किया तो कमरे में एक तरफ प्लास्टिक के काफी कट्टे भरे हुए तथा पास मे दो कागज के कार्टुन पडे मिले जिनके बारे मे रवि मेहता को पुछा तो कट्टो में अमोनिया नाईट्रेट के होना बताया। तब कार्टूनो को गवाह व जाब्ता के खोलकर चैक किया तो तो खाकी रंग के अखबार में 14 बण्डल मिले जिनको खोलकर देखा तो इलेक्ट्रोनिक्स डेटोनेटर मिले जिनको गिना तो प्रत्येक बण्डल मे पचास नग इस प्रकार कुल 700 इलेक्ट्रोनिक्स डेटोनेटर मिले जो लिपटे खाकी रंग के कागज पर PREMIER ALUMINIUM, ELECTRIC EXPLOSIVE लिखा है तथा 6 पैकिट जो हरे व सफेद रंग के कागज की डिब्बियो के है जिनको खोलकर चैक किया तो प्रत्येक डिब्बी मे 100 नग साधारण डेटोनेटर इस प्रकार कुल 600

साधारण डेटोनेटर मिले डिब्बियो पर ALUMINIUM SUPAR PLIN DETONATORS NO. 8 STRENAGTH DANGER EXPLOSIVE IDEL P LTD NARKETPALLY MADE IN INDIA लिखा मिले। दुसरे कार्टुन को खोलकर चैक किया तो उसमे सैफ्टी फ्युज वायर बैरंग हरा जो अलग अलग टुकडो मे विभिन्न नाप के बण्डल बनाकर अलग अलग बांध रखे है जिनको गिना तो कुल 25 बण्डल छोटे बड़े मिले एवं पास मे पड़े कट्टो को देखा तो उन पर अंकित मार्का व चिन्ह मिटाये हुए है कुछ कट्टो पर केवल केसरिया रंग मे OPTIMEX(R) लिखा है है एक कट्टे को खोलकर चैक किया तो गवाहन व हमराही जाब्ते को दिखाया तो अमोनिया नाईट्रेट होना पाया गया। उक्त अवैध विस्फोटक सामग्री को अपने कब्जे मे रखने बाबत श्री रवि मेहता से लाईसेन्स व परमिट बाबत पुछा तो अपने पास नही होना बताया तथा उक्त विस्फोटक सामग्री किससे खरीदकर लेकर आने बाबत पुछा तो श्री किशनसिंह उर्फ नटवर बना जाति राजपुत निवासी देवरिया बोराडा जिला अजमेर से खरीद कर लाना बताया। श्री रवि मेहता द्वारा इतनी भारी मात्रा मे उपरोक्त अवैध विस्फोटक सामग्री बिना सुरक्षा उपायो के अन्दर एक साथ खतरनाक तरीके से रखना व जिस कमरे मे अवैध विस्फोटक सामग्री रखी गई है उक्त कमरे मे उपर एक कमरा बना है जिसमे मैगजीन के चौकीदार रहते है जिन के जीवन को जोखिम मे डालकर नीचे बने कमरे मे विस्फोटक सामग्री रखी गई है। रवि मेहता द्वारा यह जानते हुये कि इतनी भारी मात्रा मे अवैध विस्फोटक सामग्री से लोगो के जीवन व सम्पती को खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसके बावजुद भी अपने कब्जे में संदिग्ध परिस्थितियों में उपरोक्त विस्फोटक सामग्री को रखा गया है। जिससे संदेह उत्पन्न होता है कि उक्त सामग्री को कहीं विस्फोट कारित करने की नियत से अवैध रूप से बिना विधीपुर्ण उद्देश्य के रवि मेहता द्वारा अपने कब्जे मे रखना पाया गया है। पूछताछ पर उक्त माल नटवर सिंह से खरीद कर लाना बताया इत्यादि।

3. उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना किशनगढ़ में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 181/2016 अपराध अन्तर्गत धारा 4,5,6 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 में दर्ज कर अनुसंधान किया जाकर बाद पूर्ण अनुसंधान **अभियुक्त रवि मेहता** के विरूद्ध धारा 4, 5 भारतीय विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 व **अभियुक्त नटवर सिंह** के विरूद्ध धारा 4, 5, 6 भारतीय विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 व धारा 5/25 आयुध अधिनियम, 1959 में आरोप–पत्र संबंधित न्यायालय अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट किशनगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जो प्रकरण बाद प्रसंज्ञान कमिट होकर न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, किशनगढ़ को प्राप्त होने पर नियमानुसार नियमित दाण्डिक दर्ज रजिस्टर किया गया।

4. बहस चार्ज सुनी गई। **अभियुक्त रवि मेहता** को आरोप अन्तर्गत धारा 4, 5

भारतीय विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 व **अभियुक्त नटवर** को आरोप अन्तर्गत धारा 4, 5, 6 भारतीय विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 व धारा 5/25 आयुध अधिनियम, 1959 में पृथक से विरचित कर सुनाए व समझाए गए, तो अभियुक्तगण ने उपरोक्त आरोप को सुन–समझकर इनकार कर अन्वीक्षा चाही।

5. अभियोजन पक्ष की ओर से जो साक्ष्य प्रस्तुत की गई है, वह इस प्रकार हैः–

क्रम सं.	पी.डब्ल्यू.	गवाह का नाम
1	पी.ड. 1	रामेश्वरलाल
2	पी.ड. 2	रामनिवास
3	पी.ड. 3	महादेव प्रसाद चौहान
4	पी.ड. 4	नरपतराम
5	पी.ड. 5	भवान सिंह
6	पी.ड. 6	रामधन
7	पी.ड. 7	रोहित मेहता
8	पी.ड. 8	गोमाराम
9	पी.ड. 9	राजूलाल
10	पी.ड. 10	रामलाल
11	पी.ड. 11	भंवरलाल सिसोदिया
12	पी.ड. 12	हनुमान लाल
13	पी.ड. 13	गौरव गोयल

6. अभियोजन पक्ष की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में निम्न दस्तावेज पेश कर प्रदर्शित करवाए गएः–

क्रम सं.	प्रदर्श	विवरण दस्तावेज
1.	प्रदर्श पी. 1	रामेश्वर लाल के पुलिस बयान
2.	प्रदर्श पी. 2	रामेश्वरलाल के तितम्बा पुलिस बयान
3.	प्रदर्श पी. 3 व 4	नक्शा मौका घटना स्थल
4.	प्रदर्श पी. 5	फर्द निरीक्षण मैगजीन रवि मेहता एण्ड कंपनी
5.	प्रदर्श पी. 6	तहरीरी रिपोर्ट
6.	प्रदर्श पी. 7	चाक एफआईआर
7.	प्रदर्श पी. 8 लगायत 10	फर्द जब्ती विस्फोटक पदार्थ
8.	प्रदर्श पी. 11	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त रवि मेहता
9.	प्रदर्श पी. 12	भवान सिंह के पुलिस बयान
10.	प्रदर्श पी. 13	रामधन के पुलिस बयान
11.	प्रदर्श पी. 14	मजमून रिपोर्ट
12.	प्रदर्श पी. 15	मुलजिम रवि मेहता की फर्द इत्तला

13.	प्रदर्श पी. 16	नक्शा ट्रेस
14.	प्रदर्श पी. 17	जमाबंदी
15.	प्रदर्श पी. 18	उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक को जब्तशुदा विस्फोटक सामग्री का परीक्षण कर रिपोर्ट देने बाबत थानाधिकारी द्वारा पुलिस अधीक्षक को जारी अग्रेषण पत्र
16.	प्रदर्श पी. 19	पुलिस अधीक्षक अजमेर द्वारा उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक को जारी अग्रेषण पत्र
17.	प्रदर्श पी. 20	प्रभारी अधिकारी, पटवार मण्डल उदयपुर खुर्द को रवि मेहता के निवास स्थान के संबंध में रेवेन्यू रिकोर्ड देने बाबत तहरीर
18.	प्रदर्श पी. 21	जप्तशुदा माल को प्रो. दलपत कुमार मेहता गुलाब एन्टरप्राइजेज गोदियाना जिला अजमेर में रखने बाबत तहरीर
19.	प्रदर्श पी. 22	रवि मेहता का अनुज्ञप्ति पत्र
20.	प्रदर्श पी. 23	स्टॉक रजिस्टर
21.	प्रदर्श पी. 24	एफएसएल रिपोर्ट
22.	प्रदर्श पी. 25	मालखाना रजिस्टर, जिसकी प्रति प्रदर्श पी–25 ए है।

7. अभियुक्तगण के बयान अंतर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत लेखबद्ध कराए गए, जिसमें अभियुक्तगण ने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताते हुए **अभियुक्त रवि मेहता** ने कथन किया है कि उसके कब्जे से कोई विस्फोटक सामग्री बरामद नहीं हुई। वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है। इसके अतिरिक्त **अभियुक्त नटवर** ने उसके निर्दोष होने व उसे झूठा फंसाया जाने का कथन किया। अभियुक्तगण द्वारा साक्ष्य सफाई प्रस्तुत करना चाहा, जिस पर पर्याप्त अवसर दिए के उपरांत भी अभियुक्तगण की ओर से कोई साक्ष्य सफाई पेश नहीं किए जाने से साक्ष्य सफाई अवसर बंद किया गया।

8. बहस अंतिम सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा दौराने बहस तर्क दिया गया कि प्रकरण में अभियुक्त रवि मेहता के कब्जाधीन दुकान से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। उक्त विस्फोटक पदार्थ जिस स्थान से बरामद हुआ है, वह रवि मेहता के कब्जे का था। उक्त दुकान की ऊपरी मंजिल में रवि मेहता का चौकीदार निवासरत था तथा उक्त बरामदगी स्थल के सामने अभियुक्त रवि मेहता की मैगजीन स्थित है, जिसकी सुरक्षा के लिए चौकीदार उसके सामने बने कमरे में निवासरत था। अभियुक्त रवि मेहता के द्वारा ही जब्ती के समय उक्त कमरे को चाबी लगाकर खोला गया। अतः ऐसी स्थिति में उक्त मकान, जहाँ से विस्फोटक सामग्री बरामद

हुई है, वह अभियुक्त रवि मेहता का था। अभियुक्त ने अभियोजन साक्ष्य के खंडन में कोई साक्ष्य पेश नहीं किए हैं। विस्फोटक सामग्री कब्जा स्थल से बरामदगी होने से अभियुक्त के विरुद्ध यह अवधारणा उत्पन्न होती है कि वह साबित करे कि विस्फोटक सामग्री का कब्जा वैध रूप से अभियुक्त का था। अभियुक्त को विस्फोटक सामग्री का लाइसेंस होल्डर बताया है, परंतु अभियुक्त की मैगजीन में जो सामान रखा गया था, वह स्टॉक के अनुरूप पाया गया है, जिसके संबंध में ही लाइसेंस था। बरामदगी स्थल कमरे में से जो विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है, उसके संबंध में कोई लाइसेंस नहीं था, न ही अभियुक्त ने अपनी प्रतिरक्षा में उक्त सामग्री के संबंध में कोई लाइसेंस पेश किया है। यद्यपि स्वतंत्र गवाह पक्षद्रोही हो गए हैं, परंतु उन्होंने फर्द जब्ती पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। इसके अतिरिक्त पुलिस जब्ती के सभी गवाहों ने जो साक्ष्य दिए हैं, उनका जिरह में किसी प्रकार से खंडन नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में अभियोजन द्वारा अभियुक्त रवि मेहता के जब्तशुदा कमरे से विस्फोटक सामग्री बरामद किए जाने का तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित है। अभियुक्त रवि मेहता द्वारा नटवर सिंह से उक्त सामान क्रय किया गया था। अभियोजन द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध को प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया गया है। अतः अभियुक्तगण आरोपित अपराध में दोषसिद्ध किए जाने का निवेदन किया गया।

9. दौराने बहस **विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त रवि मेहता** ने कथन किए हैं कि प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में विस्फोटक पदार्थ अर्थात् अमोनियम नाइट्रेट को विधिविरुद्ध रूप से रखने के अपराध का आरोप हैं, परंतु प्रकरण में अभियुक्त से उक्त विस्फोटक पदार्थ की बरामदगी का तथ्य अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से प्रमाणित नहीं किया गया है। बरामदगी के दोनों स्वतंत्र गवाह पूर्णतया पक्षद्रोही रहे हैं, जिन्होंने अभियुक्त से उक्त विस्फोटक पदार्थों की जब्ती की ताईद नहीं की है। इसके अतिरिक्त प्रकरण में जब्ती अधिकारी व अन्य गवाहों ने इत्तला मिलने पर मौके पर जाना तथा वहाँ अभियुक्त के कब्जे से विस्फोटक पदार्थ बरामद करना बताया है, परंतु अभियोजन द्वारा जब्ती की रवानगी व आमदगी रोजनामचा रिपोर्ट को साक्ष्य में पेश कर प्रदर्शित नहीं करवाई गई है। जिस स्थान से अभियुक्त से बरामदगी होना बताया है, वह स्थान अभियुक्त के कब्जे में हो या वह उसका स्वामी हो, इस बाबत अनुसंधान अधिकारी ने दौराने अनुसंधान कोई दस्तावेज प्राप्त नहीं किए हैं, न ही अभियोजन साक्ष्य से यह तथ्य प्रमाणित हुआ है कि बरामदगी स्थल परिसर अभियुक्त के स्वामित्व या कब्जे का है। जब्ती अधिकारी व अन्य गवाहों ने उक्त बरामदगी स्थल मकान, जो दो मंजिला था, उसके नीचे बिना बने कमरे को, जिस पर ताला लगा

था, चाबी लगाकर खोले जाने का कथन किया है तथा अभियुक्त के पास उसकी चाबी होना बताया है, परंतु ऐसा कोई ताला व चाबी जब्ती अधिकारी द्वारा जब्त नहीं किया गया है, न ही ऐसे कोई पदार्थ साक्ष्य में प्रदर्शित करवाए गए हैं। अभियुक्त से उक्त सामग्री की बरामदगी का तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं है। अभियोजन द्वारा बरामदगी स्थल पर रहने वाले चौकीदार को पीडब्ल्यू–1 के रूप में परीक्षित करवाया है, परंतु उक्त गवाह भी पूर्णतया पक्षद्रोही रहा है, जिसने भी अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है। विस्फोटक सामग्री जिस स्थान से बरामद हुई है, उक्त जब्तशुदा सामान की मौके पर कोई वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी नहीं करवाई गई है, न ही विस्फोटक सामग्री को सील–मोहर करने की कार्यवाही की गई। अभियुक्त विस्फोटक सामग्री को रखने व उपयोग में लेने के संबंध में लाइसेंसधारी था। अतः ऐसी स्थिति में उक्त सामग्री का अभियुक्त से बरामद किया जाना संदेहास्पद होने से उसे संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जावे।

10. दौराने बहस **विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त नटवर सिंह** ने कथन किए हैं कि प्रकरण में जब्तशुदा सामान को अभियुक्त रवि मेहता से बरामद किया जाना बताया है। अभियुक्त नटवर सिंह से किसी प्रकार की कोई विस्फोटक सामग्री बरामद नहीं हुई है। केवल सह–अभियुक्त के कथनों के आधार पर नटवर सिंह को अभियुक्त बनाया गया है। बरामदशुदा विस्फोटक सामग्री से नटवर सिंह को जोड़ने के संबंध में कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं हैं। किसी भी गवाह ने नटवर सिंह से विस्फोटक सामग्री बरामद करने या अभियुक्त रवि मेहता द्वारा उसे खरीदने के संबंध में कोई कथन नहीं किया है। नटवर सिंह ने रवि मेहता से उक्त विस्फोटक सामग्री को खरीदा हो, इस बाबत कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में अभियुक्त को मिथ्या रूप से आरोपित किया गया है। अतः अभियुक्त नटवर सिंह द्वारा कोई अपराध प्रमाणित नहीं हुआ है, इसलिए उसे संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किए जाने का निवेदन किया।

11. उभयपक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया, संबंधित विधि का अध्ययन एवं परिशीलन किया गया। उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय बिंदू बनना पाया जाता है–

1. क्या अभियुक्त रवि मेहता द्वारा दिनांक 17.07.2016 को समय 12.30 एएम पर कस्बा किशनगढ़ में रवि मेहता एण्ड कम्पनी मैग्जीन के पास स्थित कमरे से जीवन या सम्पत्ति को जोखिम में डालने के आशय से तथा संदिग्ध परिस्थितियों में बिना किसी विधिपूर्ण उद्देश्य के विस्फोटक पदार्थ 24 कट्टे अमोनियम नाइट्रेट से भरे हुए तथा

दिनांक 18.07.2016 को 25 बण्डल सेफ्टी फ्यूज वायर, 700 इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर के 14 बंधे हुए बण्डल तथा 600 साधारण डेटोनेटर, जो 6 डिब्बियों में भरे थे, को अपने पास विधिविरुद्ध रूप से तथा अपने नियंत्रणाधीन रखा?

2. क्या अभियुक्त नटवर सिंह द्वारा दिनांक 17.07.2016 को समय 12:30 ए.एम. पर कस्बा किशनगढ़ में जीवन या सम्पत्ति को जोखिम में डालने के आशय से तथा संदिग्ध परिस्थितियों में बिना किसी विधिपूर्ण उद्देश्य के विस्फोटक पदार्थ 24 कट्टे अमोनियम नाइट्रेट से भरे हुए, बिना वैध अनुज्ञा पत्र के अपने कब्जे में रखे तथा मुल्जिम रवि मेहता को विधिविरुद्ध रूप से रखने एवं उसके नियंत्रणाधीन रखने हेतु प्रदत्त किए?

3. यदि हाँ, तो दण्ड की उचित मात्रा क्या होगी ?

<u>निष्कर्ष एवं उसके आधार</u>

12. उक्त आरोपों के संबंध में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्ष्य का विवेचन व विश्लेषण किया जावे तो प्रकरण में अभियुक्त रवि मेहता के विरुद्ध अवैध रूप से विस्फोटक पदार्थ 24 कट्टे अमोनियम नाइट्रेट, 25 बंडल सेफ्टी फ्यूज वायर, 700 इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर के 14 बंधे हुए बंडल तथा 600 साधारण डेटोनेटर, जो 6 डिब्बियों में भरे थे, को अपने पास विधिविरुद्ध रखने व संदिग्ध परिस्थितियों में बिना किसी उद्देश्य से उक्त सामग्री को अपने पास रखने के धारा 4/6 व 5/6 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 के अपराध का अभियोग है। इस प्रकार अभियुक्त नटवर सिंह के विरुद्ध उक्त विस्फोटक पदार्थ को रवि मेहता को अवैध रूप से रखने के लिए प्रदान करने, उसके नियंत्रणाधीन रखने हेतु प्रदान करने तथा बिना वैध अनुज्ञापत्र के उक्त विस्फोटक सामग्री को अपने कब्जे में रखने तथा अभियुक्त रवि मेहता को प्रदान करने के अपराधों का आरोप है।

13. इस संबंध में अभियोजन साक्ष्य में परिवादी व जब्ती अधिकारी नरपत राम पीडब्ल्यू–4 को परीक्षित करवाया गया है। उक्त गवाह ने अपनी साक्ष्य में यह कथन किया है कि दिनांक 17.07.2016 को वह पीएस किशनगढ पर उपनिरीक्षक के पद पर तैनात था। उस दिन समय 10.15 पीएम पर पीएस मदनगंज से एसआई हनुमान सहाय ने इत्तला दी की उदयपुर खुर्द में रवि मेहता एण्ड कंपनी पर अवैध विस्फोटक सामग्री मिल सकती है जिस पर वह उसके साथ में महादेव एचसीं व हनुमान कानि0 1450, रामलाल कानि, व बजरंगलाल कानि मय जीप सरकारी चालक के रवाना होकर समय करीब 10.40 पीएम पर उदयपुर खुर्द चौराहा पहुंचे जहा पर उसने महादेव एचसी को मौखिक निर्देश देकर दो स्वतंत्र गवाह लाने हेतु

भेजा तब कुछ देर बाद रामधन जाट व भवान जाट को लेकर वह आया और उसके समक्ष पेश किये। जिनको स्वतंत्र गवाह मामूर कर मदनगंज थाना से श्री हनुमानसहाय एसआई द्वारा मिली इत्तला से उसने अवगत कराया गया व कार्यवाही हेतु हमराह रहने के लिए कहा तब उक्त ने अपनी सहमती बतायी जिस पर दोनों को स्वतंत्र गवाह मामूर किया गया व समय 10.40 पीएम पर रवाना होकर 11 पीएम पर मेगजीन रवि मेहता एण्ड कंपनी उदयपुरखुर्द पहुंचे जहां पर एक व्यक्ति पुलिस जीप व बावर्दी पुलिस को देखकर भागने लगा जिसको उसने आवाज देकर रूकने का कहा लेकिन वह नहीं रूका जिसे उसने हमराही जाप्ता की मदद से रोका व नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम रवि मेहता पुत्र श्री संपतराज मेहता निवासी 42, मित्रनिवास कॉलोनी मदनगंज किशनगढ का होना बताया। उक्त रवि मेहता एक दो मंजिल के कमरे से निकलकर भाग रहा था जिसको भागने का कारण पूछा तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। मेगजीन के सामने बना 2 मंजिला मकान को तलाशी देने हेतु कहा तो लकडी की बनी सिढियों के सहारे उपर बने कमरे के पास पहुंचे तब उक्त कमरे के ताला नहीं लगा हुआ था। रवि मेहता ने गेट खोला जिसमें रवि महेता की उपस्थिति व जाप्ता तथा गवाहान के समक्ष कमरे को चैक किया तो उसमे घरेलू सामान व 2 चारपाई मय बिस्तर के लगी थी। जहां कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। रवि मेहता ने उस कमरे में अपने चोकीदारों का रहना बताया। रवि मेहता को नीचे के कमरे का ताला खोलकर चैकर करवाने की हिदायत दी तब सभी नीचे आये तब रवि मेहता ने अपनी पेंट की जेब से चाबी निकालकर कमरे को खोला तथा उसके, मय जाप्ता व मय गवाहान के कमरे में प्रवेश किया जो उसमें कमरे में एक तरफ प्लास्टिक के कटटे पडे थे। तथा पास में दो कागज के कार्टून पडे मिले जिनके बारे में रवि मेहता से पूछा तो 24 कटटे अमोनिया नाईट्रेट का होना बताया। तब कार्टूनों को चैक किया तो खाकी रंग के व अखबार के 14 बंण्डल मिले जिनको खोलकर देखा तो 14 बण्डल इलेक्ट्रोनिक डेटोनेटरर्स के मिले। एक बंडल में 50 इलेक्ट्रोनिक डेटोनेटरर्स थे। इस प्रकार कुल 700 एवं 6 डिब्बीयां ओर्डिनरी डेटोनेटरर्स की मिली। जिसमें एक डिब्बी में 100 ओर्डिनरी डेटोनेटरर्स मिले इस प्रकार कुल 600 एवं दूसरे कार्टून को खोलकर चैक किया तो उसमे सैफिट फयूज वायर दो अलग अलग टूकडों में विभिन्न नाम के बण्डल बनाकर अलग अलग बांधकर रखे हुए थे जिनको गिनने पर कुल 25 बण्डल सेफटी फयूट वायर के छोटे बडे बंडल मिले। पास पडे कटटों को देखा तो उनपर मार्का व चिन्ह मिटाये हुए थे कुछ कटटों पर केवल केसरिया रंग में आप्टिमेक्स आर लिखा था। एक कटटा खोलकर चैक किया तो उक्त कटटों में अमोनियम नाइट्रेट पाया गया । उक्त विस्फोटकर सामग्री को रवि मेहता से अपने कब्जे में रखने बाबत लाइसेंस व परमिट का पूछा तो कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। व लाइसेंस व परमिट अपने पास नहीं होना बताया। अवैध विस्फोटक सामग्री किससे खरीदकर लाने बाबत

पूछा तो बताया कि किशनसिंह उर्फ नटवर जाति राजपूत निवासी देवलिया बोराडा अजमेर से खरीदकर लाना बताया। रवि मेहता द्वारा इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बिना सुरक्षा के एक साथ रखना जिस कमरे में विस्फोटक सामग्री रखी गयी थी उस कमरे के उपर एक कमरा बना हुआ था जिसमें मेगजीन के चौकीदार रहते थे। जिनके जीवन को खतरे में डालकर उपर बने कमरे में विस्फोटक सामग्री रखी गयी। इस प्रकार रवि मेहता द्वारा यह जानते हुए कि भारी मात्रा में अवैध विस्फोटक सामग्री से लोगों के जीवन को खतरा हो सकता है कि बावजूद भी, अवैध रूप से विस्फोटक सामग्री संदिग्ध परिस्थितियों में अपने कब्जे में रखा गया। उक्त सामग्री को मय विस्फोटक प्रयोग करने की नियत से अवैध रूप से बिना विधिपूर्ण तरीके से रवि मेहता द्वारा अपने कब्जे में रखना पाया गया। उक्त रवि मेहता के विरूद्ध अपराध धारा 4,5,6 विस्फोटक अधिनियम 1908 की हद में विधिपूर्ण नहीं पाया जाने पर 24 कटटे अमोनियम नाईट्रेट के जब्त कर मार्का ए1 से ए 24 अंकित कर बतौर वजह सबूत जब्त कर चिटचेपा किया। इलेक्ट्रोनिक डेटोनेटरर्स कुल 700 व साधारण डेटोनेटरर्स कुल 600 को कागज के कार्टून में रखकर चिट चेपा कर मार्का बी अंकित किया। सेफटी फयूज वायर को कार्टून में रखकर चिटचेपा मार्का सी अंकित किया जाकर कब्जे में लिया गया जिनकी फर्द जब्ती पृथक पृथक से मुर्तिब की गयी। मुल्जिम रवि मेहता के विरूद्ध अपराध धारा 4,5,6 विस्फोटक अधिनियम 1908 घटित होना पाया जाने पर जरिये गिरफतारी गिरफतार कर फर्द मुर्तिब की गयी। मौके की कार्यवाही पूर्ण कर तलबशुदा गवाहान को रूकशत कर उसके तथा मय जाप्ता मय आर्टिकल ए1 से ए24 मार्का बी व मार्का सी व गिरफतारशुदा मुल्जिम रवि मेहता को लेकर मय हमराही जाप्ता के उपस्थित थाना आया। थाने आकर रिपोर्ट पेश की गयी व मुकदमा दर्ज करवाया गया। जब्तशुदा आर्टिकलों मार्का ए1 से ए24 व बी व सी को मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज करवाकर थानापरिसर में सुरक्षित रखवाया। जो प्रदर्श पी 6 है जिसकी पुस्त पर सी से डी भाग में कार्यवाही पुलिस का अंकन है तथा ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी 7 है। जिसकी पुस्त पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। फर्द जब्ती मार्का सी प्रदर्श पी 8 है जिसकी पुस्त पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। सी से डी मुल्जिम रवि मेहता के हस्ताक्षर है। ई से एफ गवाह रामधन, जी से एच भवान सिंह, के हस्ताक्षर है। अमोनिया नाइट्रेट मार्का ए1 से ए24 तक की फर्द जब्ती प्रदर्श पी 9 है जिस पर ए से बी उसके, सी से डी मुल्जिम रवि मेहता, ई से एफ गवाह रामधन व जी से एच भवान सिंह के हस्ताक्षर है। फर्द जब्ती कुल 700 इलेक्ट्रोनिक डेटोनेटरर्स 14 बण्डल व 600 साधारण डेटोनेटरर्स 6 डिब्बीयां मार्का बी अंकित है जिसकी फर्द प्रदर्श पी 10 है जिस पर ए से बी उसके, सी से डी मुल्जिम रवि मेहता, ई से एफ गवाह रामधन, जी से एच भवानसिंह के हस्ताक्षर है। फर्द गिरफतारी जमा तलाशी मुल्जिम रवि मेहता प्रदर्श

पी 11 है जिस पर ए से बी उसके, सी से डी मुल्जिम रवि मेहता ई से एफ गवाह रामधन व जी से एच भवान सिंह के हस्ताक्षर है।

14. इस गवाह ने जिरह में कथन किया है कि यह कहना सही है कि उसकी रिपोर्ट में यह अंकित नहीं है कि उक्त सामान उसने गवाहों के सामने जब्त किया हो। अज खुद कहा कि माल–मशरूका गवाहान की मौजूदगी में ही जब्त किया था। यह कहना सही है कि जब मुल्जिम को पकड़ा, उसने कमरे का ताला जिस चाबी से खोला, उस ताला व चाबी को उन्होंने जब्त नहीं किया है। यह कहना गलत है कि जिस कमरे से जब्ती हुई वह चौकीदार का कमरा हो। अज खुद कहा कि चौकीदार का कमरा ऊपर था। जब्ती स्थल के पास में रवि मेहता की मैगजीन था। मैगजीन का मतलब वह स्थल जहाँ लाइसेंसशुदा विस्फोटक पदार्थ निर्धारित मात्रा में रखा जाता है। यह भी कथन किया कि स्वतंत्र गवाहान वह निर्देश देने पर महादेव हैड कांस्टेबल तलब करके लाया था, जिन्हें वह मौके पर लेकर गए थे। मौके पर 11:00 बजे स्वतंत्र गवाह आए थे। गवाह ने यह भी कथन किया कि चाबी से नीचे वाले कमरे का ताला खोला तो वहाँ यह विस्फोटक सामग्री रखी हुई थी। यह कहना गलत है कि जिस कमरे से सामग्री बरामद होना बताया है उस कमरे पर ताला ही नहीं हो अथवा वहां दरवाजा ही नहीं हो। यह कहना सही है कि मौके की संपूर्ण कार्यवाही के दौरान उनके द्वारा घटना स्थल के अलावा किसी अन्य स्थान का निरीक्षण नहीं किया गया था। अज खुद कहा कि उस कमरे के अलावा ऊपर वाले कमरे का निरीक्षण किया था। यह कहना गलत है कि रवि मेहता के कब्जे से किसी प्रकार की विस्फोटक सामग्री बरामद नहीं हुई हो। यह कहना गलत है कि स्वतंत्र गवाहों के सामने उसने रवि मेहता के कब्जे से अवैध सामग्री जब्त नहीं की हो।

15. इस प्रकार उक्त गवाह ने अपनी साक्ष्य में रवि मेहता के जब्तशुदा कमरे, जिसके ताले को रवि मेहता द्वारा खोला गया था, में गवाहान के प्रवेश करने पर विस्फोटक सामग्री बरामद किए जाने का कथन किया है। विस्फोटक सामग्री 24 कट्टों में होना बताया है, जो अमोनियम नाइट्रेट था, जिसको कब्जे में रखने के बाबत लाइसेंस व परमिट रवि मेहता को पूछने पर उसके पास नहीं होना बताया था। उक्त जब्तशुदा सामान को बतौर वजह–सबूत जब्त कर मार्का ए–1 से ए–24, मार्का बी व मार्का सी अंकित करना बताया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी कर थाना में उपस्थित होकर मुकदमा दर्ज करवाए जाने का कथन किया है। जब्ती अधिकारी ने जब्ती की समस्त कार्यवाही गवाहान की उपस्थिति में होना बताया है, जिसका उसकी जिरह में किसी प्रकार से खंडन नहीं हुआ है।

16. जब्ती अधिकारी ने अपने साथ महादेव हैड कांस्टेबल, हनुमान कांस्टेबल नंबर 1450, रामलाल व बजरंगलाल का भी होना बताया है। अभियोजन द्वारा जाब्ते के उक्त गवाहों को भी अभियोजन गवाह के रूप में परीक्षित करवाया

गया है, जिसमें गवाह पीडब्ल्यू–3 महादेव प्रसाद ने अपनी साक्ष्य में मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि दिनांक 17.07.2016 को वह पीएस किशनगढ पर एचसी के पद पर तैनात था। उस दिन समय 10.15 पीएम पर पीएस मदनगंज से एसआई हनुमान सहाय ने इत्तला दी की उदयपुर खुर्द में रवि मेहता एण्ड कंपनी पर अवैध विष्फोटक सामग्री मिल सकती है जिस पर श्री नरपतराम एसआई के साथ वह व हनुमान कानि0 1450, रामलाल कानि, व बजरंगलाल कानि मय जीप सरकारी चालक के रवाना होकर समय करीब 10.40 पीएम पर उदयपुर खुर्द चौराहा पहुंचे जहा पर श्री नरपतराम एएसआई ने उसे दो स्वतंत्र गवाह लाने हेतु भेजा तब रामधन जाट व भवान जाट को लेकर वह आया और एसआई नरपतराम को पेश किये। जिनको स्वतंत्र गवाह मामूर कर मदनगंज थाना से श्री हनुमानसहाय एसआई द्वारा मिली इत्तला से अवगत कराया गया व हमराह लेकर रवि मेहता एण्ड कंपनी उदयपुरखुर्द पहुंचे जहां पर एक व्यक्ति पुलिस जीप व बावर्दी पुलिस को देखकर भागने लगा जिसको श्री नरपतराम एएसआई ने हाथ का इशारा देकर रूकने का कहा लेकिन वह नहीं रूका जिसे नरपतराम एएसआई ने हमराही जाप्ता की मदद से रोका व नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम रवि मेहता पुत्र श्री संपतराज मेहता निवासी 42, मित्रनिवास कॉलोनी मदनगंज किशनगढ का होना बताया। जिसको अपनी मेगजीन के सामने बना 2 मंजिला मकान को तलाशी देने हेतु कहा तो उसने अपनी जेब से चाबी निकालकर कमरे को खोला तब उपर बने कमरे को जाकर देखने पर वहां पर 2 चारपाई मय बिस्तर के लगी थी। जहां कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। नीचे आकर नीचे के कमरे को खोलने हेतु कहा तब रवि मेहता ने अपनी जेब से चाबी निकालकर कमरे को खोला जिसमें तलाशी ली जाने पर वहां पर 24 कटटे अमोनिया नाईट्रेट के दीवार के सहारे पड़े मिले एवं एक कागज के डिब्बे को खोलकर चैक किया तो उसमें 14 बण्डल इलेक्ट्रोनिक डेटोनेटरर्स के मिले। एक बंडल में 50 इलेक्ट्रोनिक डेटोनेटरर्स थे। इस प्रकार कुल 700 एवं 6 डिब्बीयां ओर्डिनरी डेटोनेटरर्स की मिली। जिसमें एक डिब्बी में 100 ओर्डिनरी डेटोनेटरर्स मिले इस प्रकार कुल 600 एवं 25 सेफटी फयूट वायर के छोटे बडे बंडल मिले। जिनके बारे में रवि मेहता से अपने कब्जे में रखने बाबत पूछा तो कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। इस प्रकार रवि मेहता द्वारा अवैध रूप से विस्फोटक सामग्री अपने कब्जे में रखना अपराध धारा 4,5,6 विस्फोटक अधिनियम 2008 की हद में विधिपूर्ण नहीं पाया जाने पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष श्री नरपतराम एसआई ने मौके पर पृथक पृथक से फर्द जब्ती के जब्त किया गया। आरोपी श्री रवि मेहता को मौके पर जरिये फर्द गिरफतार कर मय फर्दात जब्तशुदा माल के हाजिर थाना आये और मुकदमा दर्ज करवाया। दिनांक 18.07.2016 को समय 6.15 पीएम पर घटनास्थल का नक्शा मौका उसके व रामलाल कानि के सामने बनाया था जो प्रदर्श पी 4 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उसी दिन

फर्द निरीक्षण मेगजीन रवि मेहता एण्ड कंपनी का उसके व रामलाल कानि के समक्ष श्री गोमाराम जी ने बनाया जो प्रदर्श पी 5 है। जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

17. जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि यह कहना सही है कि जिस मैगजीन का उसके सामने सीआई साहब ने निरीक्षण किया वह मैगजीन उसकी जानकारी के अनुसार रवि मेहता एण्ड कम्पनी की थी। गवाह ने यह भी कथन किया है कि मैगजीन सरकारी नियमानुसार लाइसेंसधारी थी। निरीक्षण में जो माल व स्टॉक मिला वह नियमानुसार स्टॉक रजिस्टर के अनुसार सही था। यह कहना सही है कि मैगजीन के सामने जिस गोदाम से अवैध विस्फोटक सामग्री जब्त होना बताया है, उसके बयानों के अनुसार उसकी चाबी रवि मेहता के कब्जे से प्राप्त हुई थी, चाबी व ताला मौके पर उसके सामने जब्त नहीं किया गया और न ही कोई जब्ती पत्रावली पर मौजूद है। मौके पर जो भी मुल्जिम के विरूद्ध कार्यवाही की गई वह स्वतंत्र गवाह, जिन्हें वह लेकर आया था, उनके सामने की गई थी। यह कहना गलत है कि स्वतंत्र गवाह आने से पूर्व उन्होंने माल जब्त कर लिया हो। यह भी कथन किया है कि यह कहना गलत है कि जिस जगह की तलाशी ली गई वह कमरा चौकीदार का था। अज खुद कहा कि ऊपर का कमरा चौकीदार का था, जिसके नीचे वाले कमरे से विस्फोटक सामग्री बरामद हुई थी। यह कहना गलत है कि जब अवैध सामग्री जब्त की गई उस वक्त उक्त कमरे में चौकीदार हो। यह कहना सही है कि जब्त किया गया माल आज न्यायालय में नहीं है। यह कहना गलत है कि जो सामग्री जब्त करना बताया है वह मुल्जिम रवि मेहता के कब्जे से बरामद नहीं हुई हो।

18. इस प्रकार उक्त गवाह ने अपनी साक्ष्य में जब्ती अधिकारी नरपत राम के कथनों की ताईद करते हुए अभियुक्त रवि मेहता की मैगजीन के सामने बने दो मंजिला मकान के नीचे के कमरे में, जिसका ताला रवि मेहता द्वारा चाबी निकालकर खोला गया, उसमें विस्फोटक सामग्री मिलना तथा जिसको कब्जे में रखने बाबत पूछने पर संतोषजनक जवाब नहीं दिए जाने पर स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में जरिये जब्ती जब्त किए जाने का कथन किया है, जिसका उसकी जिरह में किसी प्रकार से खंडन नहीं हुआ है।

19. अन्य गवाह पीडब्ल्यू–10 रामलाल व पीडब्ल्यू–12 हनुमानलाल हैं। उक्त दोनों ही गवाहों को जब्ती अधिकारी ने अपनी साक्ष्य में जाब्ते में अपने साथ होना बताया है। दोनों गवाहों ने अपनी मुख्य परीक्षा में जब्ती अधिकारी के साथ जाब्ते में जाना बताया है। इस प्रकार उक्त दोनों गवाहों ने अपनी साक्ष्य में जब्ती अधिकारी के कथनों की ताईद की है तथा बरामदगी स्थल पर रवि मेहता के कब्जे से जरिये फर्द विस्फोटक सामग्री बरामद किए जाने के कथन किए हैं, जिनका उनकी जिरह में किसी प्रकार से खंडन नहीं हुआ है।

20. जब्ती अधिकारी ने जिस विस्फोटक सामग्री को अभियुक्त से बरामद करना बताया है, वह सामग्री स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में बरामद किए जाने का कथन किया है। बरामदगी के स्वतंत्र गवाह भवानी सिंह पीडब्ल्यू–5 व रामधन पीडब्ल्यू–6 को बतौर गवाह परीक्षित करवाया गया है, जिसमें गवाह भवानी सिंह पीडब्ल्यू–5 ने अपनी साक्ष्य में यह कथन किया है कि वह ग्राम टीकावडा का रहने वाला हूॅ तथा खेती बाडी का काम करता है। वह दसवी कक्षा तक पढालिखा है। दिनांक 17.07.2016 रात्रि 10 से 10.30 बजे की बात है। वह व रामधन उदयपुर खुर्द चैराहे पर बेठे थे। फिर पुलिस की गाडी आयी व उन्होंने कहा कि आपको साहब बुला रहे है वे पुलिस वालो के साथ गोदाम गये वहां पर शोर हो रहा था कि गोदाम पर छापा पडा है माल पकडा है। पहले उपर वाले कमरे में तलाशी लेने गये, उसमें कुछ नहीं मिला। फिर रवि मेहता से नीचे वाले गौदाम की चाबी मांगी। फिर वहां पर वहगनीज का सामान मिला जो सामान मिला वह नहीं जानता है। जिनमे 14 बण्डल मिले थे। एक बण्डल में 50 पेकिट आते है जो मिले थे। खोले तो टोटे थे जब उनकी गिनती की तो वह 700 थे। फिर उनको कागज के डिब्बे में पेक करके उनके सामने पुलिस वाले पलिस थाने लेकर चले गये। यह उदयपुर खुर्द मेहता जी की फैक्ट्री में मिले थे।

21. इस प्रकार उक्त गवाह ने अपनी साक्ष्य में स्वयं का व रामधन का उदयपुर खुर्द चौराहे पर बैठा होना, जहाँ पर पुलिस की गाड़ी आना तथा उनके द्वारा उन्हें बुलाने का कहा जाना, पुलिसवालों के साथ गोदाम पर जाना, जहाँ पर शोर हो रहा था कि छापा पड़ा है, माल मिला है। पहले ऊपर वाले कमरे में तलाशी लेने गए, उसमें कुछ नहीं मिला। फिर रवि मेहता से नीचे वाले गोदाम की चाबी मांगी, वहाँ मेगजीन का सामान मिला, जो सामान मिला उसे वह नहीं जानता है। उसमें चौदह बंडल थे, एक बंडल में पचास पैकेट आते हैं, जो मिले थे। खोले तो टोटे थे, उनकी गिनती की तो वह सात सौ थे। उनको कागज के डिब्बे में पैक करके पुलिस वाले पुलिस थाना लेकर चले गए।

22. इस गवाह ने अपने पक्षद्रोही होने पर अभियोजक द्वारा की गई जिरह में अपने पुलिस बयान में उसके ए से बी, सी से डी, ई से एफ, जी से एच, आई से जे, के से एल, ओ से पी, क्यू से आर भाग को लिखाया जाना स्वीकार किया है तथा फर्द प्रदर्श पी–8, 9, 10 को अपने समक्ष बनाए जाने का कथन किया है, जो कि जब्ती फर्द हैं तथा उन पर अपने हस्ताक्षरों की भी ताईद की है। इस प्रकार उक्त गवाह ने अपनी साक्ष्य में उक्त फर्दों पर अपने हस्ताक्षरों की ताईद की है। उसके हस्ताक्षर फर्जी, कूटरचित हों या किसी भय अथवा दबाव में कराए गए हों, ऐसा कोई कथन नहीं किया है। गवाह ने अपनी मुख्य परीक्षा में गोदाम से जो सामान जब्त करना बताया है, उक्त साक्ष्य का भी जिरह में किसी प्रकार से खंडन

नहीं हुआ है। यद्यपि गवाह ने जिरह में ताला–चाबी बरामद नहीं किया जाना, उन पर सील–मोहर नहीं किया जाना तथा स्वयं को गवाह बनने बाबत नोटिस नहीं दिए जाने व कागज पर हस्ताक्षर नहीं करवाने का कथन किया है, परंतु उक्त गवाह मौके पर नहीं गया हो तथा वहाँ पर कोई सामान बरामद नहीं हुआ हो, इस संबंध में कोई कथन अपनी जिरह में नहीं किया है। गवाह ने जिरह में मौके पर जाना स्वीकार किया है, जहाँ विस्फोटक सामग्री रखी थी, उस कमरे में बरामदगी का सामान देखे जाने का भी कथन किया है।

23. इस प्रकार किसी गवाह के पक्षद्रोही होने मात्र से उसके संपूर्ण साक्ष्य को दरकिनार नहीं किया जा सकता, जबकि उक्त गवाह की साक्ष्य से जब्ती अधिकारी के कथनों व जाब्ते के अन्य गवाहों की साक्ष्य की भी ताईद हुई है।

24. अन्य गवाह रामधन पीडब्ल्यू–6, जो कि जब्ती का स्वतंत्र गवाह है, ने अपनी साक्ष्य में यह कथन किया है कि वह टीकावडा का रहने वाला है। वह आठवी कक्षा तक पढालिखा है। वह खेतीबाडी का कार्य करता है। उसके सामने पुलिनवालो ने कोई कार्यवाही नहीं की ना ही उसने कुछ देखा। उसके पुलिसवालो ने बयान नहीं लिये थे। वे गांव जा रहे थे तो पुलिसवालो ने उससे हस्ताक्षर करवाये थे।

25. इस प्रकार उक्त गवाह यद्यपि पक्षद्रोही रहा है तथा अपने समक्ष पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही किए जाने से इनकार किया है, परंतु गवाह ने फर्द प्रदर्श पी–8, 9, 10 व 11 पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है, उक्त हस्ताक्षर किसी भय या दबाव में कराए गए हों, ऐसा कोई कथन उसने अपनी साक्ष्य में नहीं किया है।

26. अन्य गवाह पीडब्ल्यू–1 रामेश्वरलाल, जिसे अभियुक्त से जब्तशुदा विस्फोटक सामग्री के कमरे के ऊपर बने कमरे में निवासरत चौकीदार के बतौर परीक्षित करवाया गया है, उक्त गवाह ने अपनी साक्ष्य में मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि वह उदयपुर कलां का रहने वाला है। वह रवि मेहता एण्ड कंपनी में चैकीदारी का कार्य करता था। उसने सात साल तक वहां पर चौकीदारी का कार्य किया है। इनका पटाखों व मैगजीन का गोदाम है। पटाखों के छः कमरे बने हुये थे और मैगजीन का एक कमरा था। इस मैगजीन के अलावा उससे लगभग 50–60 मीटर की दूरी पर दो कमरे बना हुए थे, जिनमें से उपर वाले कमरे में वह रहता था और नीचे वाले कमरे में पुट्ठे व कबाड रखे रहते थे। उसकी जानकारी में पिकअप में कोई कट्टे नहीं आये।

27. इस प्रकार उक्त गवाह ने अपनी साक्ष्य में रवि मेहता एंड कम्पनी में सात साल से चौकीदारी का कार्य करना बताया है तथा उनकी पटाखों व मेगजीन का गोदाम होना बताया। उक्त मेगजीन के अलावा उसके लगभग पचास से साठ मीटर

की दूरी पर दो कमरे बने होना, जिनमें ऊपर वाले कमरे में वह रहता है तथा नीचे वाले कमरे में कबाड़ रखा होना बताया। यद्यपि उक्त गवाह ने पिकअप से कोई कट्टे आने की जानकारी होना नहीं बताया है व वह पक्षद्रोही रहा है, परंतु अपर लोक अभियोजक द्वारा की गई जिरह में गवाह ने अपने पुलिस बयान प्रदर्श पी–1 में सी से डी भाग में पटाखा फैक्ट्री होने की बात कहना स्वीकार किया है तथा जी से एच भाग में बारदाना रखा होना स्वीकार किया है। शेष तथ्य, जिसमें लिखा है कि आज से लगभग पैंतीस–चालीस दिन पूर्व एक पिकअप रात के समय चौबीस कट्टे लेकर आई थी तथा उन्हें वारदात वाले कमरे में रखवाकर ताला लगाकर चाबी लेकर चले गए, कट्टे किस चीज के थे इसकी जानकारी नही होना बताया।

28. इस प्रकार उक्त गवाह ने अपनी साक्ष्य में रवि मेहता एंड कम्पनी का चौकीदार होना स्वीकार किया है तथा जब्ती अधिकारी व जब्ती के अन्य गवाहों ने जिस कमरे से अवैध विस्फोटक पदार्थ बरामद करना बताया है, उसके ऊपर चौकीदार का कमरा होना बताया है तथा उक्त कमरा मेगजीन के सामने दो मंजिला कमरे के रूप में बना होना भी गवाह ने बताया है, जिसकी पुष्टि उक्त गवाह ने भी अपनी साक्ष्य में की है। यद्यपि उक्त गवाह ने उक्त दोनों कमरों में से नीचे वाले कमरे में बरामदगी के संबंध में कोई कथन नहीं किया है। उक्त गवाह बरामदगी के समय मौजूद हो, ऐसा कोई कथन भी जाब्ते के गवाहों ने नहीं किया है। अतः ऐसी स्थिति में उक्त गवाह ने इस संबंध में अभियोजन कहानी का समर्थन किया है कि रवि मेहता एंड कम्पनी की मेगजीन के सामने दो कमरे स्थित थे तथा ऊपर के कमरे में वह चौकीदार के रूप में निवासरत था। गवाह ने यद्यपि इस तथ्य को स्वीकार किया है कि यह कहना सही है कि जहाँ उसका कमरा है, उसके सामने जो रवि मेहता कम्पनी की मेगजीन है, उसी मेगजीन में विस्फोटक पदार्थ आता–जाता रहता है।

29. अन्य गवाह पीडब्ल्यू–2 रामनिवास, जो कि नक्शा मौका का गवाह है, ने अपनी साक्ष्य में नक्शा मौका प्रदर्श पी–3 को स्वयं के व महादेव प्रसाद के समक्ष बनाया जाना तथा उस पर ए से बी अपने हस्ताक्षर होना बताया है। गवाह ने अपनी जिरह में आस–पास के खेत वालों को नहीं बुलाए जाने का कारण गर्मी का मौसम होने के कारण खेत पर कोई नहीं होना बताया है। गवाह ने मौके पर स्वयं के व महादेव के अलावा अभियुक्त रवि, एसएचओ गोमाराम, कानि. रघुनाथ, जीप का ड्राइवर गोपाललाल होना बताया है। नक्शा मौके पर किसी स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर नहीं होना भी बताया है। नक्शा मौका बनाते समय मेगजीन का सी स्थान व एक्स स्थान बंद होना बताया है। गवाह ने उसके समक्ष नक्शा मौका नहीं बनाया गया हो, इस सुझाव को गलत होना बताया है। इस प्रकार उक्त गवाह ने अपने समक्ष नक्शा मौका अनुसंधान अधिकारी द्वारा बनाए जाने की ताईद की है।

30. अभियोजन ने गवाह पीडब्ल्यू–7 रोहित मेहता को परीक्षित करवाया गया

है। उक्त गवाह ने अपनी साक्ष्य में रवि मेहता एंड कम्पनी, उदयपुर खुर्द कला में स्थित मेगजीन पर रोहित मेहता के निर्देशन में कार्य करना तथा कम्पनी पर रामेश्वरलाल का कार्य करना बताया है।

31. इस गवाह ने जिरह में कथन किया है कि यह कहना सही है कि पुलिस ने उनकी मेगजीन के सामने जो चौकीदार रहता है, उसके कमरे से कोई विस्फोटक पदार्थ बरामद नहीं किया। गवाह ने यह भी कथन किया है कि यह कहना सही है कि पुलिस ने कोई भी अवैध विस्फोटक पदार्थ न तो उनकी मेगजीन से और न ही मेगजीन के बाहर उनके किसी कमरे से बरामद किया है। इस प्रकार उक्त गवाह ने अवैध विस्फोटक पदार्थ रवि मेहता की मेगजीन से या उसके बाहर के कमरे से बरामद होना नहीं बताया, परंतु गवाह ने रामेश्वरलाल पीडब्ल्यू–1, जो कि रवि मेहता की कम्पनी में बतौर चौकीदार कार्य करने के संबंध में परीक्षित करवाया गया है, उसके कम्पनी में कार्य करने के तथ्य की ताईद की है तथा मेगजीन के सामने बने कमरों में उसका निवास करना भी बताया है।

32. अन्य गवाह पीडब्ल्यू–8 गोमाराम, जो कि अनुसंधान अधिकारी हैं, ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि दिनांक 17.07.2016 को वह पुलिस थाना किशनगढ पर थाना अधिकारी के पद पर कार्यरत था। उस दिन उसे मदनगंज थाने से श्री हनुमान सहाय एस.आई ने जरिये टेलीफोन थाने पर सुचना दी कि सुखराज मेहता ओसवाली मोहल्ला के कब्जे से अवैध विस्फोटक सामग्री इसके मकान से बरामद की गई। उक्त इतल्ला की तहरीर प्रदर्श पी 14 है। जिस पर ए से बी भाग पर एचएम थाना उगमाराम जी के हस्ताक्षर है उनके हस्ताक्षर वह उसके अधिनस्थ होने के कारण वह पहचानता है। उपरोक्त इत्तला के आधार पर उसके द्वारा नरपतराम एस.आई व जापते को कार्यवाही हेतू रवाना किया गया। दिनांक 18.07.2016 को नरपतराम एस.आई द्वारा उपरोक्त मुकदमे की तहरीरी रिपोर्ट दी गई। जो प्रदर्श पी 6 है। जिस पर ए से बी नरपतराम जी के हस्ताक्षर है तथा सी से डी भाग में कार्यवाही पुलिस अंकित हैं। उपरोक्त रिपोर्ट पर मामला जुल्म धारा 4,5,6 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 का वकु मे आना पाये जाने पर मुकदमा नं. 191/16 दर्ज कर उसके द्वारा तफतीश शुरू की गई। जिस पर ए से बी नरपतराम जी के हस्ताक्षर है व ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी 7 है जिस की पुस्त पर ए से बी नरपतराम जी व सी से डी उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा उपरोक्त प्रकरण में गवाहान के उनके कथन अनुसार रामेश्वरलाल, भवानीसिंह, नरपतराम, महादेव प्रसाद, हनुमान, रामलाल, रोहित मेहता, रामधन के धारा 161 सीआरपीसी के बयान लिये गये। दौराने अनुसंधान उसके द्वारा मुस्तगीस की निशादेही से घटनास्थल का नक्शामौका गवाहान के समक्ष मुर्तिब किया गया। जो प्रदर्श पी 4 है। जिस पर ए से बी महादेव प्रसाद , सी

से डी रामलाल व ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। जिसकी पुस्त पर जी से एच भाग में हालात मौका अंकित है तथा ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा दिनांक 18.07.2016 को फर्द निरीक्षण मेगजीन रवि मेहता एण्ड कम्पनी सरहद उदयपुर कलां का गवाहान व मुलजिम के भाई रोहित मेहता के समक्ष बनाई गई जो प्रदर्श पी 5 है। जिस पर ए से बी महादेव, सी से डी रामलाल, ई से एफ उसके हस्ताक्षर है व जी से एच रोहित मेहता के हस्ताक्षर है। गिरफतारीशुदा मुलजिम रवि मेहता ने उसे धारा 27 एविडेन्स की इत्तल्ला दी जो प्रदर्श पी 15 है। जिस पर ए से बी उसके व सी से डी रवि मेहता के हस्ताक्षर हे। उपरोक्त इत्तल्ला के आधार पर मुलजिम की निशादेही से जिस स्थान से अमोनियम नाईट्रेट के 24 कट्टे ले कर आये थे उस स्थान का नक्शामौका गवाहान के समक्ष बनाया था जो प्रदर्श पी 3 है जिस पर ए से बी महादेव प्रासाद, सी से डी रामनिवास, ई से एफ उसके व जी से एच रवि मेहता के हस्ताक्षर है। जिसकी पुस्त पर आई से जे हालातमौका अंकित है तथा ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा जप्ती स्थल का रेवेन्यु रिकोर्ड, नक्शाट्रेस व जमाबन्दी प्राप्त कर शाामिल पत्रावली की गई जो क्रमश प्रदर्श 16 व 17 है। जप्तशुदा विस्फोटक सामग्री का परीक्षण हेतु थाने का अग्रेषण पत्र प्रदर्श 18 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। पुलिस अधीक्षक महोदय अजमेर का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 19 है। पटवार मण्डल उदयपुर कला से लिये गये रेवेन्यु की तहरीर प्रदर्श 20 है जिस पर ए से बी स्थान महादेव प्रसाद हैड कानि. के हस्ताक्षर है। जप्तशुदा विस्फोटक सामग्री को प्रो. दलपत कुमार मेहता की गुलाब ऐन्टरप्राईजेज गोदीयानी जिला अजमेर मे जमा कराने की तहरीर क्रमाकं 3400 प्रदर्श 21 है जिस पर ए से बी उसके, सी से डी भाग पर उपरोक्त विस्फोटक सामग्री को जमा कराने का पृष्ठांकन है तथा ई से एफ दलपत कुमार मेहता के हस्ताक्षर है। मुलजिम रवि मेहता के मैगजीन का लाईसेंस व स्टोक रजिस्टर की प्रमाणित प्रति उसके भाई रोहित ने लाकर पेश की जो शामिल पत्रावली है जो क्रमश प्रदर्श पी 22 व 23 है। जिस पर शामिल पत्रावली के पृष्ठांकन पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। थाने का एफ एस एल रिपोर्ट का कवरिंग लेटर मय एफ एस एल रिपोर्ट प्रदर्श 24 है जिस पर जो शामिल पत्रावली है। असल मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी 25 है जिसकी मद संख्या 100/16 पर उसने माल का अंकन कर रखा है तथा मुकदमा नम्बर 191/16 अंतर्गत धारा 4,5,6 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम मे दर्ज किया था जिस पर ए से बी भाग मे माल का विवरण है। असल मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी25 ए है। आरोपी रवि मेंहता, नटवर सिंह के विरूद्ध धारा 4,5,6 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 व 5/25 आयुध अधिनियम 1959 मे पाया गया। उक्त प्रकरण मे अंतिम नतीजा श्री अनुप सिंह के द्वारा पेश किया गया जिसके प्रत्येक पेज पर ए से बी भाग पर उनके हस्ताक्षर है। साथी होने की वजह से पहचानता है।

33. इस गवाह ने जिरह में कथन किया है कि यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 4 नक्शा मौका बनाते समय मैने किसी भी स्वतंत्र गवाह को मुर्तिब नही किया। यह बात सही है कि नक्शा मौका प्रदर्श पी 4 मे जिस स्थान मे ए, एक्स 1 दर्शाया गया है वह एक ही परिसर है। यह बात सही है कि इसी परिसर मे चोकीदार का निवास स्थान है। यह सही है कि प्रदर्श पी 4 पर मैंने चोकीदार के बतोर गवाह हस्ताक्षर नही करवाये। अज खुदा कहा कि घटनास्थल का नक्शा मोका परिवादी की निशादेही से बनाया गया था। यह सही है कि जिन स्वतंत्र गवाहो के सामने माल बरामद हुआ, उन स्वतंत्र गवाहो के भी नक्शा मौका प्रदर्श पी 4 पर हस्ताक्षर नही करवाये गये। यह सही है कि रवि मेहता के पास विस्फोटक सामग्री रखने व विक्रय करने के वैद्य लाइसेंस था। अज खुद कहा कि उपरोक्त प्रकरण मे जब्तशुदा विस्फोटक सामग्री का कोई वैद्य लाइसेंस उसके पास नही था। यह सही है कि रवि मेहता की लाइसेंसशुदा मेगजीन का सत्यापन करने पर स्टॉक रजिस्टर के अनुसार कोई अनियमितता नही पायी गयी। यह बात सही है कि नक्शा मोका प्रदर्श पी 4 मे वर्णित ए, एक्स, एक्स 1 परिसर की कोई भी चाबी जब्त करने वाले जब्ती अधिकारी ने उसके सामने पेश नही की। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 6 उसके सामने आयी तब उसने उसका भली भांति अवलोकन कर लिया था। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 6 का जी से एच भाग मे साधारण डेटोनेटर बनाने वाली कम्पनी का नाम अंकित है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 6 मे जी से एच के मध्य जिस कम्पनी का नाम लिखा है, उस कम्पनी के संबंध में उसके द्वारा कोई अनुसंधान नही किया गया कि यह डेटोनेटर किस व्यक्ति को बेचान किया गया है। यह सही है कि जब्तशुदा इलेक्टॉनिक डेटोनेटर पर किसी कम्पनी का नाम नही था इसलिये कम्पनी से अनुसंधान नही किया जा सका। यह सही है कि गिरफ्तारशुदा मुल्जिम ने अनुसंधान के दौरान कम्पनी का नाम नही बताया। यह सही है कि मुल्जिम ने कम्पनी का नाम नही बताया, इसका इन्द्राज चार्जशीट पर नही किया गया। यह सही है कि धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इतला किसी स्वतंत्र गवाह के सामने नही ली गयी। यह सही है कि प्रदर्श पी 3 पर किसी स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर नही है। प्रदर्श पी 3 गांव से दूर में बनाया हुआ है व आस पास ज्यादा आबादी नही होने से स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर नही करवाये जा सके। यह सही है कि प्रदर्श पी 3 मे ए स्थान जो खाली खेत बताया है, वो किसका हो इस संबंध मे हलका पटवारी से कोई जानकारी नही ली गयी। यह सही है कि अनुसंधान के दौरान घटना दिनांक से 30–40 रोज पहले नटवर सिंह से रवि मेहता के द्वारा अमोनियम नाइट्रेट के कटटे लेना बताया गया। यह सही है कि नटवर सिंह उसके द्वारा गिरफतार नही किया गया इसलिये इस संबंध मे अनुसंधान नही किया गया कि नटवर सिंह अमोनियम नाइट्रेट कहा से खरीद कर लाया। यह सही है कि उसके द्वारा नटवर सिंह को अमोनियम नाइट्रेट कहा से लाने बाबत नोटिस नही दिया था

क्योंकि घटना के बाद मुल्जिम नटवर सिंह सकोनत से रूहपोष हो गया था। यह बात सही है कि नटवर सिंह अग्रिम जमानत के आदेश लेकर थाने पर तस्दीक कराने के लिये उसके समक्ष उपस्थित हुआ था। यह सही है कि नटवर सिंह जब तस्दीक कराने के लिये उसके समक्ष उपस्थित हुआ था तब भी उसने अमोनियम नाइट्रेट कहा से लाया इस बाबत पूछताछ नही की। यह कहना गलत है कि उसके द्वारा नटवर सिंह ने रवि मेहता को अमोनियम नाइट्रेट किस हैसियत से दिया इस बाबत जांच नही की। अनुसंधान के दौरान रवि मेहता ने जब्तशुदा अमोनियम नाइट्रेट नटवर सिंह से खरीद कर लाना बताया था। यह सही है कि रवि मेहता ने अमोनियम नाइट्रेट नटवर सिंह से कितने पैसो मे खरीदा उस राशि का चार्जशीट मे अंकन नही है। यह कहना गलत है कि विस्फोटक सामग्री की जब्ती व शील्डमोहर की कार्यवाही थाने पर की थी। अज खुद कहा कि मौके पर ही की थी। यह सही है कि प्रदर्श पी 6 मे इस बात का अंकन नही है कि जप्ती की कार्यवाही किसी स्वतंत्र गवाह के सामने की गयी हो, इसका अंकन नही है। यह कहना गलत है कि प्रकरण मे जब्तशुदा माल मुल्जिम रवि मेहता के कब्जे से बरामद नही हुआ हो। यह कहना सही है कि मुल्जिम रवि मेहता से धारा 27 की इतला के तहत कोई भी माल बरामद नही किया गया था। यह भी सही है कि न ही जप्ती अधिकारी व न ही उसके द्वारा मोके व जब्ती की कोई विडियोग्राफी व फोटाग्राफी करवायी गयी। यह कहना भी गलत है कि जो जप्ती की कार्यवाही की गयी वह थाने पर ही की गयी हो। यह कहना भी गलत है कि रवि मेहता द्वारा उन्हें धारा 27 की इतला नही दी गयी हो। यह कहना गलत है कि मै गलत अनुसंधान कर गलत नतीजा पेश किया हो।

34. इस प्रकार उक्त गवाह, जो कि अनुसंधान अधिकारी है, ने अपनी साक्ष्य में बाद इत्तिला जाब्ते को थाने से रवाना करना तथा मुकदमे की तहरीर रिपोर्ट प्रदर्श पी–2 पर जब्ती अधिकारी नरपतराम द्वारा दिया जाना, जिस पर प्रकरण धारा 4, 5, 6 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 में दर्ज किया जाना बताया है। दौराने अनुसंधान गवाहों के बयान लेखबद्ध करना, नक्शा मौका तैयार करना, मेगजीन रवि मेहता एंड कम्पनी का फर्द निरीक्षण कर प्रदर्श पी–5 बनाया जाना, गिरफ्तारशुदा मुल्जिम की धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की इत्तिला के आधार पर मुल्जिम की निशानदेही से जिस स्थान से अमोनियम नाइट्रेट के 24 कट्टे लेकर आए थे, उस स्थान का नक्शा मौका गवाहों के समक्ष बनाया जाना, जो प्रदर्श पी–3 होना बताया है। जब्ती स्थल का राजस्व रिकॉर्ड, नक्शा ट्रेस, जमाबंदी प्राप्त कर पत्रावली में शामिल करना, विस्फोटक सामग्री का परीक्षण करवाना तथा अभियुक्त रवि मेहता की मेगजीन का लाइसेंस, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि दस्तावेज प्राप्त कर पत्रावली में शामिल किए जाने का कथन किया है। गवाह ने विस्फोटक सामग्री, जिसे एफएसएल में प्रेषित किया गया था, उसकी रिपोर्ट को

भी साक्ष्य में प्रदर्शित करवाया है। गवाह ने जब्तशुदा विस्फोटक सामग्री का कोई वैध लाइसेंस रवि मेहता के पास होना, इस तथ्य से स्पष्ट इंकार किया है। गवाह ने यह भी कथन किया है कि यह सही है कि अनुसंधान के दौरान घटना से 30–40 दिन पूर्व नटवर सिंह द्वारा रवि मेहता को अमोनियम नाइट्रेट के कट्टे लाना बताया गया है। यह सही है कि नटवर सिंह को उसके द्वारा गिरफ्तार नहीं किया गया है। इस संबंध में अनुसंधान नहीं किया गया कि नटवर सिंह अमोनियम नाइट्रेट कहाँ से खरीदकर लाया। नटवर सिंह को कोई नोटिस नहीं दिया गया क्योंकि घटना के बाद वह सकुनत से रूहपोश हो गया था। नटवर सिंह के अग्रिम जमानत लेकर उपस्थित होने पर भी उससे अमोनियम नाइट्रेट कहाँ से लाया, इस बाबत पूछताछ नहीं की गई। नटवर सिंह ने रवि मेहता को अमोनियम नाइट्रेट किस हैसियत से दिया, इस बाबत भी जांच नहीं की गई। अनुसंधान के दौरान रवि मेहता ने जब्तशुदा अमोनियम नाइट्रेट नटवर सिंह से खरीदकर लाना बताया था।

35. इस प्रकार उपरोक्त गवाह ने अपनी साक्ष्य में रवि मेहता के जब्तशुदा परिसर से जब्ती अधिकारी द्वारा विस्फोटक सामग्री बरामद किया जाना बताया है, परंतु नटवर सिंह के संबंध में उसके द्वारा कोई प्रभावी अनुसंधान नहीं किया जाना तथा नटवर सिंह से अमोनियम नाइट्रेट के संबंध में कोई पूछताछ नहीं करना बताया है।

36. अन्य गवाह पीडब्ल्यू–11 भँवरलाल सिसोदिया ने अपनी साक्ष्य में पत्रावली अग्रिम अनुसंधान हेतु प्राप्त होना, गवाह रामेश्वरलाल के तितम्बा बयान लिए जाना तथा जब्ती अधिकारी व जाब्ते के अन्य गवाहों से पूछताछ करना, जिनके द्वारा अपने पूर्व बयानों की ताईद किया जाना बताया है। गवाह रामधन व भवानी सिंह, जो स्वतंत्र गवाह हैं, से भी पूछताछ करना तथा पूर्व अनुसंधान अधिकारी गोमाराम की तफ्तीश की तस्दीक किया जाना बताया है। गवाह ने अपनी तफ्तीश में रवि मेहता के विरुद्ध धारा 4, 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम तथा नटवर सिंह के विरुद्ध धारा 4, 5, 6 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम एवं धारा 5/25 आयुध अधिनियम का अपराध प्रमाणित पाया जाना बताया है। यद्यपि गवाह ने मौके पर जाकर तफ्तीश नहीं करना तथा मौके की कार्यवाही की जानकारी नहीं हो, इन सुझावों को गलत बताया है। गवाह ने रामेश्वरलाल के फैक्ट्री में कार्यरत होने के संबंध में कोई दस्तावेज रामेश्वरलाल से प्राप्त नहीं करना बताया है।

37. अन्य गवाह पीडब्ल्यू–13 गौरव गोयल, जो कि अभियोजन स्वीकृति का गवाह हैं, ने अपनी साक्ष्य में पत्रावली का विवेकपूर्ण अवलोकन करना तथा उपलब्ध दस्तावेजों से संतुष्ट होते हुए आरोपी रवि मेहता व नटवर सिंह के पास विस्फोटक सामग्री बाबत कोई लाइसेंस अथवा परमिट नहीं पाया जाना तथा बरामदगी सामग्री का विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की परिभाषा में आना एवं

अधिनियम का घोर उल्लंघन पाया जाना बताते हुए अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति जारी करना, जो प्रदर्श पी–26 है, अपनी साक्ष्य में बताया है, जिसका उसकी जिरह में किसी प्रकार से खंडन नहीं हुआ है।

38. इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन साक्ष्य के विवेचन व विश्लेषण से यह स्थिति उभरकर प्रकट होती है कि प्रकरण में जप्ती अधिकारी द्वारा अभियुक्त रवि मेहता की मेगजीन के सामने बने कमरे, जो नक्शा मौका प्रदर्श पी–4 में एक्स व एक्स–1 स्थान दर्शित है, से विस्फोटक सामग्री अमोनियम नाइट्रेट तथा फर्द जब्ती के अनुसार अन्य सामग्री बरामद किए जाने का कथन किया गया है। उक्त नक्शा मौका प्रदर्श पी–4 जप्ती अधिकारी की निशादेही से गवाहों की उपस्थिति में तैयार किया गया है, जिसकी ताईद गवाह महादेव प्रसाद व रामलाल ने अपनी साक्ष्य में की है। उक्त एक्स व एक्स–1 स्थान के ऊपर बना कमरा रवि मेहता एंड कम्पनी के चौकीदार रामेश्वरलाल का निवास स्थान होना बताया गया है तथा उक्त एक्स व एक्स–1 स्थान से ही विस्फोटक सामग्री को जब्त किया जाना जप्ती अधिकारी ने अपनी साक्ष्य में बताया है तथा उक्त जब्तशुदा सामान को जरिये फर्द प्रदर्श पी–8, 9, 10 जब्त किये जाने का कथन किया है तथा जब्ती के दौरान उक्त सामान पर मार्का अंकित किए गए हैं, जो ए–1 से ए–24, मार्का बी व मार्का सी हैं। उक्त कमरे के ताला बंद होने से अभियुक्त द्वारा चाबी लगाकर खोलने का कथन गवाह ने अपनी साक्ष्य में किया है तथा सभी फर्दों पर अभियुक्त के हस्ताक्षरों की भी पुष्टि अपनी साक्ष्य में की है, जिनका उसकी जिरह में किसी प्रकार से खंडन नहीं हुआ है। अभियुक्त को जरिये फर्द प्रदर्श पी–11 मौके पर गिरफ्तार किए जाने का कथन भी जप्ती अधिकारी ने किया है तथा उक्त फर्द गवाहों की उपस्थिति में तैयार किए जाने का कथन किया है, जिसका भी उसकी जिरह में किसी प्रकार से खंडन नहीं हुआ है। जप्ती अधिकारी ने मौके पर जाब्ते के साथ पहुँचना बताया है तथा जाब्ते में जिन व्यक्तियों का अपने साथ होना बताया है, वे सभी बतौर अभियोजन गवाह पीडब्ल्यू–3 महादेव प्रसाद, पीडब्ल्यू–10 रामलाल तथा पीडब्ल्यू–12 हनुमानलाल के रूप में परीक्षित करवाए गए हैं। उक्त सभी गवाहों ने अपनी साक्ष्य में जप्ती अधिकारी के कथनों की ताईद करते हुए इत्तला मिलने पर मौके पर नरपतराम एएसआई के साथ जाना तथा रवि मेहता एंड कम्पनी, उदयपुर खुर्द पहुँचने पर एक व्यक्ति का उन्हें देखकर भागना, जिसे नरपतराम द्वारा हाथ का इशारा देकर रोकने के लिए कहा गया, परंतु वह नहीं रुका। तब जाब्ते की मदद से उसे रोककर उसका नाम–पता पूछा गया तो उसने अपना नाम रवि मेहता बताया। उसे अपनी मेगजीन के सामने बने दो मंजिला मकान की तलाशी लेने के लिए कहा गया तो उसने अपनी जेब से चाबी निकालकर कमरे को खोला। ऊपर बने कमरे में दो चारपाई व बिस्तर लगे हुए थे, जहाँ कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। नीचे के कमरे

को रवि मेहता द्वारा जेब से चाबी निकालकर उसे खोला गया, जिसमें तलाशी लेने पर 24 कट्टे अमोनियम नाइट्रेट से भरे हुए, 25 बंडल सेफ्टी फ्यूज वायर, 700 इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर के 14 बंधे हुए बंडल तथा 600 साधारण डेटोनेटर, जो 6 डिब्बियों में भरे हुए थे, मिले। उक्त सामान को रखने के बाबत कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया, जिस पर स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में उक्त सामान को जब्त करने एवं अभियुक्त को मौके पर गिरफ्तार किए जाने व सामान को जरिये फर्द जब्त किये जाने का कथन किया है। उक्त सभी गवाहों की साक्ष्य का उनकी जिरह में किसी प्रकार का खंडन नहीं हुआ है।

39. दौराने बहस अभियुक्त के अधिवक्ता ने कथन किया है कि प्रकरण में जो स्वतंत्र गवाह परीक्षित करवाए गए हैं, वे दोनों गवाह पक्षद्रोही रहे हैं, जिन्होंने जब्ती की ताईद अपनी साक्ष्य में नहीं की है, जिससे जब्ती की कार्यवाही संदेहास्पद हो जाती है। इस संबंध में गवाहों की साक्ष्य का अवलोकन किया जाए तो गवाह पीडब्ल्यू–5 भवानी सिंह व पीडब्ल्यू–6 रामधन जब्ती के स्वतंत्र गवाह के रूप में परीक्षित हुए हैं। इनमें से गवाह पीडब्ल्यू–5 भवानी सिंह ने अपनी साक्ष्य में दिनांक 17.07.2016 को रात्रि 10:00 से 10:30 बजे स्वयं का व रामधन का उदयपुर खुर्द चौराहे पर बैठा होना, पुलिस की गाड़ी आना, पुलिसवालों के साथ गोदाम पर जाना, जहाँ पर शोर हो रहा था कि गोदाम पर छापा पड़ा है, माल पकड़ा गया है, बताया है। तब वे पहले ऊपर वाले कमरे में तलाशी लेने गए। इसके बाद रवि मेहता से नीचे वाले गोदाम की चाबी माँगी गई। वहाँ मेगजीन का सामान मिला, जहाँ 14 बंडल मिले। एक बंडल में 50 पैकेट आते हैं। खोलने पर उसमें टोटे थे, जिनकी गिनती करने पर 700 होना बताया है। जिरह में भी गवाह ने अपने पुलिस बयान प्रदर्श पी–12 को दिया जाना स्वीकार किया है तथा उक्त बयान में गवाह ने स्वतंत्र गवाह के रूप में मौके पर जाना, जहाँ पर पुलिस की जीप व बावर्दी पुलिस को देखकर एक व्यक्ति का भागना, उसे थाना अधिकारी द्वारा आवाज देकर रुकने को कहना, जाब्ते की मदद से घेराबंदी कर पकड़ना, जिसने अपना नाम रवि मेहता बताया जाना, सही होना बताया है। इस प्रकार उक्त गवाह ने अपने पुलिस बयान में रवि मेहता का दो मंजिला कमरे की तरफ से निकलकर भागना, भागने का संतोषप्रद जवाब नहीं देना, दो मंजिला कमरे में रखे सामान व वहाँ रहने के बाबत पूछने पर गुमसुम होना, मकान की चाबी स्वयं के पास होना, लकड़ी की सीढ़ी के सहारे ऊपर के कमरे में पहुँचना, जहाँ घरेलू सामान, दो चारपाई व बिस्तर होना तथा अन्य कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिलना, स्वीकार किया है। गवाह ने रवि मेहता द्वारा अपनी मेगजीन के चौकीदार का वहाँ रहना बताया जाना, रवि मेहता को नीचे के कमरे का ताला खोलकर चेक करवाने की हिदायत देने पर उसके द्वारा पैंट की जेब से चाबी निकालकर ताला खोला जाना भी स्वीकार किया है। जाब्ते द्वारा कमरे

में प्रवेश किया गया, जहाँ कमरे में प्लास्टिक के कट्टे भरे हुए तथा पास में दो कागज के कार्टन पड़े मिले, जिनके बारे में रवि मेहता से पूछने पर कट्टों में अमोनियम नाइट्रेट होना बताया गया। उक्त तथ्य को भी साक्ष्य में स्वीकार किया है कि पुलिस बयान के जी से एच भाग में विस्फोटक सामग्री मिलना अंकित है। आई से जे भाग में उक्त सामग्री के बाबत रवि मेहता से लाइसेंस व परमिट पूछने पर नहीं होना बताए जाने का कथन भी किया है।

40. गवाह ने अपनी साक्ष्य में एम से एन भाग, जिसमें इसके बावजूद अपने कब्जे में संदिग्ध परिस्थितियों में उपरोक्त सामग्री रखी जाना तथा रवि मेहता का यह कृत्य धारा 4, 5, 6 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत अपराध होना पाया जाना अंकित है, नहीं बताया जाना, तथा ओ से पी भाग, जो अमोनियम नाइट्रेट की जब्ती के संबंध में है तथा उस पर मार्का ए–1 से ए–24 अंकित करने बाबत है, को सही होना बताया है। क्यू से आर भाग, जो अभियुक्त को गिरफ्तार करने के संबंध में है, को भी सही होना बताया है तथा उक्त फर्द प्रदर्श पी–8, 9 व 10 पर स्वयं के हस्ताक्षरों की भी ताईद की है। यद्यपि गवाह ने जिरह में ताला–चाबी को बरामद नहीं करना तथा सील–मोहर नहीं करना बताया है, परंतु मुख्य परीक्षण एवं अपर लोक अभियोजक द्वारा की गई जिरह में जो कथन किए हैं, उनका कोई स्पष्ट खंडन उसके जिरह में नहीं हुआ है। गवाह ने अपनी जिरह में मौके पर मौजूद नहीं होने का कोई कथन नहीं किया है, बल्कि यह कथन किया है कि वह स्वयं मौके पर गया था तथा वहाँ मेग्जीन था। यह भी कथन किया कि जब वे गोदाम पर पहुँचे तो आसपास लगभग 10–15 व्यक्ति मौजूद थे। इस प्रकार उक्त गवाह की साक्ष्य में अभियुक्त से विस्फोटक सामग्री बरामद किए जाने संबंधी तथ्यों का किसी प्रकार खंडन नहीं हुआ है। गवाह की साक्ष्य से जब्ती अधिकारी एवं जाब्ते के अन्य गवाहों की साक्ष्य की भी ताईद हुई है।

41. अन्य गवाह पीडब्ल्यू–6 रामधन, जिसे बरामदगी के गवाह के रूप में परीक्षित करवाया गया है, यद्यपि उक्त गवाह ने अपनी साक्ष्य में अपने समक्ष पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही किए जाने से इंकार किया है, परंतु गवाह ने अपने पुलिस बयान प्रदर्श पी–13 दिया जाना स्वीकार किया है। यद्यपि उसने पुलिस बयानों के ए से बी, सी से डी, ई से एफ भाग को लिखाए जाने से इंकार किया है तथा प्रदर्श पी–8, 9, 10 व 11 की कार्यवाही उसके सामने पुलिस द्वारा किए जाने से भी इंकार किया, परंतु उक्त फर्दों पर अपने हस्ताक्षरों की पुष्टि की है। उक्त हस्ताक्षर किसी भय या दबाव में करवाए गए हों, ऐसा कोई कथन उसने अपनी साक्ष्य में नहीं किया है। अतः ऐसी इस स्थिति में उक्त दोनों गवाहों की साक्ष्य से जब्ती अधिकारी द्वारा उक्त फर्दे मौके पर बनाए जाने के तथ्य की पुष्टि होती है। अतः अभियुक्त के अधिवक्ता का यह तर्क कि बरामदगी के गवाह पूर्णतः पक्षद्रोही हो गए हैं तथा उन्होंने

जब्ती की लेशमात्र भी ताईद नहीं की है, मानने योग्य नहीं है। इसके अतिरिक्त जाब्ते के अन्य गवाहों ने अपनी साक्ष्य में अभियुक्त के कब्जे से विस्फोटक सामग्री की बरामदगी के तथ्य की ताईद की है, जिसका उनकी जिरह में कोई खंडन नहीं हुआ है। अतः उनका यह तर्क भी माने जाने योग्य नहीं है।

42. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि बरामदगी स्थल का ताला चाबी लगाकर खोले जाने का कथन गवाहों द्वारा किया गया है, परंतु मौके पर कोई ताला या चाबी जब्त नहीं की गई तथा न ही उसकी कोई फर्द बनाई गई, जिससे बरामदगी संदेहास्पद हो जाती है। इस संबंध में गवाहों ने जिरह में ताला एवं चाबी की जब्ती किए जाने से इंकार किया है, परंतु सभी गवाहों ने अपनी साक्ष्य में अभियुक्त को घेरा देकर मौके पर पकड़ना तथा उसकी जेब से चाबी निकालकर बरामदगी स्थल खोले जाने का कथन किया है, जिसका जिरह में किसी प्रकार खंडन नहीं हुआ है। अतः केवल ताला–चाबी की फर्द नहीं बनाए जाने मात्र से गवाहों की मौखिक साक्ष्य, जो जिरह में अखंडित रही है, को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता। इसलिए उक्त तर्क भी माने जाने योग्य नहीं है।

43. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने यह भी कथन किया कि अभियुक्त रवि मेहता विस्फोटक सामग्री का वैध लाइसेंसधारी था, अतः उसके विरुद्ध आरोप निराधार हैं। इस संबंध में अभियोजन द्वारा रवि मेहता का लाइसेंस प्रदर्श पी–22 तथा स्टॉक रजिस्टर साक्ष्य में प्रदर्शित करवाया गया है। परंतु उक्त लाइसेंस को गवाहों ने केवल उसकी मेग्जीन का लाइसेंस होना बताया है, जबकि बरामद विस्फोटक सामग्री मेग्जीन के सामने बने उस कमरे से बरामद हुई है, जिसके ऊपर चौकीदार निवासरत था। उक्त बरामदशुदा विस्फोटक सामग्री का पृथक रूप से अभियुक्त के पास कोई वैध लाइसेंस था, यह तथ्य अभियोजन साक्ष्य से प्रकट नहीं हुआ है तथा अभियुक्त की ओर से प्रतिरक्षा में भी ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः यह तर्क भी माने जाने योग्य नहीं है।

44. दौराने साक्ष्य अभियुक्त का यह भी कथन रहा है कि जिस परिसर से सामान बरामद होना बताया गया है, वह परिसर रवि मेहता का था, इस संबंध में कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है, अतः वह दोषसिद्धि का अधिकारी नहीं है। इस संबंध में अभियोजन गवाहों ने अपनी साक्ष्य में स्पष्ट रूप से बताया है कि विस्फोटक सामग्री रवि मेहता एण्ड कम्पनी की मेग्जीन के सामने स्थित कमरे से बरामद हुई थी तथा उक्त कमरे की ऊपरी मंजिल पर रवि मेहता एण्ड कम्पनी का चौकीदार रामेश्वरलाल निवास करता था। इस रामेश्वरलाल पीडब्ल्यू–1 ने भी अपनी साक्ष्य में रवि मेहता एण्ड कम्पनी में चौकीदारी का कार्य करना तथा मेग्जीन के सामने लगभग 50–60 मीटर दूरी पर बने दो कमरों में से ऊपर वाले कमरे में

रहना तथा नीचे वाले कमरे में कूड़ा, पुट्ठे एवं कागज रखा जाना बताया है। यद्यपि उसने नीचे वाले कमरे में किसी प्रकार की सामग्री लाए या ले जाए जाने से इंकार किया है, परंतु उसने यह स्वीकार किया है कि उसके कमरे के सामने रवि मेहता एण्ड कम्पनी की मेग्जीन स्थित है तथा वहाँ विस्फोटक पदार्थों का आना–जाना रहता है। इस प्रकार जब्ती अधिकारी, जाब्ते के अन्य गवाहों एवं स्वतंत्र गवाहों की साक्ष्य से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि बरामदगी स्थल रवि मेहता एण्ड कम्पनी के सामने स्थित वही कमरा था, जिसके ऊपर चौकीदार निवास करता था तथा नीचे वाले कमरे से ही उक्त सामग्री बरामद हुई थी।

45. इसके अतिरिक्त गवाह पीडब्ल्यू–7 रोहित मेहता ने भी अपनी साक्ष्य में रामेश्वरलाल का रवि मेहता एण्ड कम्पनी में कार्य करना तथा मेग्जीन के सामने निवासरत होना स्वीकार किया है। अतः मेग्जीन के सामने बने कमरे, जहाँ से जब्ती अधिकारी एवं अन्य गवाहों ने माल बरामद होना बताया है, का रवि मेहता एण्ड कम्पनी के कब्जे में होना साक्ष्य से प्रमाणित है, जिसका अभियुक्त की ओर से कोई खंडन नहीं किया गया है। अभियोजन द्वारा यह तथ्य भी स्पष्ट किया गया है कि जब्ती अधिकारी द्वारा जब्त किए गए माल को अनुसंधान अधिकारी द्वारा परीक्षण हेतु उपविस्फोटक नियंत्रक जयपुर के पास भेजा गया था तथा एफएसएल रिपोर्ट में जब्तशुदा उक्त सामग्री के संबंध में एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी–24 को साक्ष्य में प्रदर्शित करवाया गया है, जिसमें मार्का ए अमोनियम नाइट्रेट को परीक्षण हेतु फोरेंसिक लैब भेजना व शेष सामग्री मार्क बी व मार्क सी के संबंध में यह राय दी गई है कि –

"अ.) कम सं0 2 के मार्क बी 2 (अ) एवं 2 (ब) में वर्णित एल्यूमिनियम डिटोनेटर ट्यूब विद्युत विस्फोट प्रेरक साधारण डिटोनेटर एवं इलैक्ट्रीक डिटोनेटर है जो वर्ग 6 प्रभाग 3 का विस्फोटक है।

ब) कम सं० 3 के मार्क सी में वर्णित हरे रंग का फयूज वायर सुरक्षा पलीता (सेफटी फयूज) है जो वर्ग 6 प्रभाग 1 का विस्फोटक है।

उपरोक्त वर्णित विस्फोटक पदार्थो का वर्गीकरण विस्फोटक नियम 2008 की अनुसूचि संख्या 1 में वर्णित है। विस्फोटक नियम 2008 के नियम सं० 9 में गई छूट के अनुसार एवं नियम सं० 7 के अनुसार क्रम संख्या 2 से 3 तक में वर्णित विस्फोटक पदार्थों के क्रय विक्रय भण्डारण व उपयोग हेतु विस्फोटक नियमों के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति की आवश्यकता होती है।"

इस प्रकार जांच रिपोर्ट में सामग्री विस्फोटक पदार्थ होना पाया है। इस तथ्य का भी अभियुक्त की ओर से कोई खंडन नहीं किया गया है। वैध अनुज्ञप्ति पेश नहीं की गई है। अतः उपर्युक्त विवेचन के अनुसार अभियुक्त रवि मेहता के कब्जे से

विस्फोटक सामग्री बरामद किए जाने का तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित हुआ है तथा अभियोजन स्वीकृति भी साक्ष्य से प्रमाणित है।

46. अभियुक्त के कब्जे से जो सामग्री बरामद हुई है, उससे यह उपधारणा उत्पन्न होती है कि उसके द्वारा उक्त विस्फोटक पदार्थों को अवैध रूप से अपने कब्जे में रखा गया था, जिससे जीवन को खतरा उत्पन्न होने अथवा सम्पत्ति को गंभीर क्षति पहुँचने की संभावना थी। अभियुक्त की ओर से इस उपधारणा का किसी प्रकार से खंडन नहीं किया गया है तथा यह भी सिद्ध नहीं किया गया कि बरामद सामग्री के संबंध में उसके पास कोई वैध लाइसेंस अथवा परमिट था। अतः अभियुक्त रवि मेहता के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित है।

47. जहाँ तक अभियुक्त नटवर सिंह से उक्त सामग्री खरीदने का प्रश्न है, इस संबंध में जब्ती अधिकारी, जाब्ते के अन्य गवाहों तथा स्वतंत्र गवाहों की साक्ष्य से यह तथ्य प्रकट नहीं हुआ है कि मौके पर नटवर सिंह के कब्जे से कोई सामग्री बरामद हुई हो अथवा बरामदगी स्थल पर उसका कब्जा या स्वामित्व हो। प्रकरण में केवल अभियुक्त रवि मेहता द्वारा पूछताछ के दौरान उक्त सामग्री नटवर सिंह से खरीदकर लाने के कथन के आधार पर नटवर सिंह को अभियुक्त के रूप में संयोजित किया गया है। अनुसंधान अधिकारी ने भी स्वीकार किया है कि नटवर सिंह के संबंध में कोई प्रभावी अनुसंधान नहीं किया गया। न तो उससे यह पूछताछ की गई कि वह अमोनियम नाइट्रेट कहाँ से लाया, ना यह कि उसने रवि मेहता को किस हैसियत से उक्त सामग्री प्रदान की तथा ना ही इस संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य संकलित किए गए, ना तो मैसर्स जगदम्बा ट्रेडर्स के स्टॉक रजिस्टर का कोई रिकॉर्ड साक्ष्य में प्रस्तुत किया गया, ना ही ऐसा कोई बैच नम्बर, फर्म नम्बर, कम्पनी का नाम अथवा अन्य पहचान चिह्न बरामद सामग्री पर पाया गया जिससे यह सिद्ध हो सके कि उक्त सामग्री वास्तव में मैसर्स जगदम्बा ट्रेडर्स से ही प्राप्त की गई थी।

48. अतः इस स्थिति में नटवर सिंह के विरुद्ध यह सिद्ध नहीं होता कि उसने उक्त विस्फोटक सामग्री रवि मेहता को प्रदान की थी। फलस्वरूप अभियोजन नटवर सिंह के विरुद्ध आरोपित अपराधों को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। अनुसंधान अधिकारी द्वारा नटवर सिंह के संबंध में समुचित अनुसंधान नहीं किया जाना उसकी घोर लापरवाही एवं कर्तव्यहीनता को भी दर्शित करता है।

49. परिणामतः उपर्युक्तानुसार किये गये विवेचन से अभियोजन पक्ष अभियुक्त रवि मेहता के विरूद्ध जीवन या सम्पत्ति को जोखिम में डालने के आशय से तथा संदिग्ध परिस्थितियों में बिना किसी विधिपूर्ण उद्देश्य के विस्फोटक पदार्थ 24 कट्टे

अमोनियम नाइट्रेट से भरे हुए तथा दिनांक 18.07.2016 को 25 बण्डल सेफ्टी फ्यूज वायर, 700 इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर के 14 बंधे हुए बण्डल तथा 600 साधारण डेटोनेटर, जो 6 डिब्बियों में भरे थे, को अपने पास विधिविरुद्ध रूप से तथा अपने नियंत्रणाधीन रखने को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया है। अतः अभियोजन द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध धारा 4/6, 5/6 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के आरोपित अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है, अतः अभियुक्त रवि मेहता उक्त धारा के आरोप में दोषसिद्ध किये जाने योग्य है। जबकि अभियोजन पक्ष अभियुक्त नटवर सिंह के विरूद्ध धारा 4/6, 5/6 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम व धारा 5/25 आयुध अधिनियम के अपराध के आरोप को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है, अतः अभियुक्त नटवर सिंह उक्त धाराओं के आरोपों से संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

–आ दे श–

50. अतः अभियुक्त **रवि मेहता पुत्र श्री सम्पतराज मेहता, उम्र 42 साल, निवासी मकान नंबर 42 मित्र निवास कॉलोनी मदनगंज पुलिस थाना मदनगंज जिला अजमेर** को अपराध अन्तर्गत **धारा 4/6, 5/6 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 के आरोपों में दोषसिद्ध** घोषित किया जाता है।

51. एवं अभियुक्त **नटवर सिंह पुत्र श्री बाबू सिंह, उम्र 33 साल, निवासी देवरिया थाना बोराडा जिला अजमेर को** अपराध अंतर्गत धारा **4/6, 5/6 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 व धारा 5/25 आयुध अधिनियम के आरोपों से दोषमुक्त** घोषित किया जाता है।

52. अभियुक्त रवि मेहता के जमानत मुचलके तुरंत प्रभाव से निरस्त किये जाते हैं एवं अभियुक्त **रवि मेहता** के विरूद्ध उक्त धाराओं के अपराध में की गई दोषसिद्धि के फलस्वरूप उसे न्यायिक–अभिरक्षा में लिया जाता है।

(शालिनी शर्मा)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 2,
किशनगढ़, जिला अजमेर।

53. **विचारणीय बिन्दु संख्या– 03**

54. सजा के प्रश्न पर उभय पक्ष को सुना गया।

55. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने निवेदन किया कि अभियुक्त का यह प्रथम

अपराध है तथा उसके विरूद्ध पूर्व दोषसिद्धी बाबत कोई साक्ष्य भी पत्रावली पर नही है। भविष्य में अभियुक्त अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा। मुलजिम परिवार में अकेला कमाने वाला व्यक्ति है, जिसकी आय पर पूरा परिवार आश्रित है। मुलजिम लंबे समय से विचारण भुगत रहा है। अतः मुलजिम के प्रति नरमी का रूख अपनाया जाकर परिवीक्षा का लाभ दिए जाने का निवेदन किया है।

56. इसके विपरीत विद्वान अपर लोक अभियोजक ने यह कथन किया है कि अभियुक्त द्वारा अवैध रूप से विस्फोटक पदार्थ अपने कब्जे में रखकर गंभीर कृत्य कारित किया गया है, जिससे समाज में भय का माहौल उत्पन्न हुआ है, जो आस पडौस के जीवन के लिए संकटकारी व समाज व राष्ट्र के लिए आंतककारी है। अतः अभियुक्त को कठोर दंड से दंडित किया जावे।

57. उभयपक्षों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। यह सही है कि अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व दोषसिद्धी बाबत कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है और अभियुक्त द्वारा भविष्य में अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करने का आश्वासन भी दिया गया है, परन्तु अभियुक्त के द्वारा अवैध रूप से विस्फोटक पदार्थ को बिना लाइसेन्स के कब्जे में रखना गंभीर कृत्य है। इतनी भारी मात्रा में अवैध रूप से रिहायशी इलाके में विस्फोटक पदार्थ का संग्रहण करना जीवन के लिए संकटकारी व अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देने वाला है। अतः उसे परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः अभियुक्त की दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप अभियुक्त को दोषसिद्ध अपराध में निम्न प्रकार से दंडित किया जाना न्यायोचित पाता हैः–

–: दण्डादेश :–

58. (1) अतः अभियुक्त **रवि मेहता पुत्र श्री सम्पतराज मेहता, उम्र 42 साल, निवासी मकान नंबर 42 मित्र निवास कॉलोनी मदनगंज पुलिस थाना मदनगंज जिला अजमेर** को **धारा 4/6, 5/6 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908** के अंतर्गत दण्ड़नीय अपराधो में निम्नानुसार दंडित किया जाता है–

1– अंतर्गत धारा 4/6 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अपराध के अंतर्गत दण्ड़नीय अपराध हेतु **सात वर्ष** का कठोर कारावास एवं 50,000/–रू. (अक्षरे पचास हजार रूपये) अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्त छः माह का कठोर कारावास अतिरिक्त भुगतेगा।

2– अंतर्गत धारा 5/6 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अपराध के अंतर्गत दण्ड़नीय अपराध हेतु **सात वर्ष** का कठोर कारावास एवं 50,000/–रू. (अक्षरे पचास हजार रूपये) अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्त छः माह का कठोर कारावास अतिरिक्त भुगतेगा।

(2) अभियुक्त का उक्तानुसार सजा वारण्ट मुर्तिब किया जावे।

(3) अभियुक्त की पूर्व में बिताई गई पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा की अवधि को धारा 428 सी.आर.पी.सी. के प्रावधानों के अनुसार उसकी मूल सजा में समायोजित किया जावे। अभियुक्त की सभी सजाएं साथ–साथ चलेगी।

(4) प्रकरण में जब्तशुदा माल बाद गुजरने मियाद अपील/रिवीजन, अपील/रिवीजन न होने की स्थिति में नियमानुसार निस्तारित किया जावे।

(5) अभियुक्त को निर्णय की प्रति निःशुल्क प्रदान की जावे।

(शालिनी शर्मा)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 2,
किशनगढ़, जिला अजमेर।

1.

59. निर्णय व दण्डादेश आज दिनांक 11–06–2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं अभिघोषित किया गया।

(शालिनी शर्मा)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 2,
किशनगढ़, जिला अजमेर।